



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 5 फरवरी, 2011 / 16 माघ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-32/2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-01-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद् विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 21) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा
सचिव, विधि।

हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम ।
2. परिभाषाएं ।
3. परिषद् की स्थापना ।
4. परिषद् का गठन ।
 - (i) पदेन सदस्य ।
 - (ii) गैर सरकारी सदस्य ।
 - (iii) रजिस्ट्रार परिषद् का सचिव होगा ।
5. सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।
6. परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि ।
7. गैर सरकारी सदस्यों द्वारा त्यागपत्र ।
8. परिषद् के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्यताएं ।
9. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।
10. बैठक का बुलाया जाना ।
11. बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय ।
12. कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ।
13. रिक्तियां आदि, कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएंगी ।
14. बैठक की कार्यवाहियों का विधिमान्य होना ।
15. परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते ।
16. सह-पशु चिकित्सा औषधि में ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमन्त्रित करने की परिषद् की शक्ति ।
17. समिति की नियुक्ति ।
18. परिषद् की शक्तियां और कृत्य ।
19. नई सह-पशु चिकित्सीय संस्था की स्थापना के लिए अनुज्ञा ।
20. कतिपय मामलों में सह-पशु चिकित्सीय अर्हता की अमान्यता ।
21. कतिपय विद्यमान सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अवधि ।
22. कतिपय सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं, जिनकी अर्हताएं अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, द्वारा अनुदत्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता को मान्यता ।
23. अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति ।
24. सह-पशु चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण ।
25. मान्यता का वापस लिया जाना ।
26. सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा के न्यूनतम स्तरमान ।
27. सह-पशु चिकित्सीय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण ।
28. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
29. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण ।
30. सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के न्यूनतम मानक ।
31. सह-पशु चिकित्सीय स्थापन का निरीक्षण ।
32. परिषद् का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी (सेवक) ।
33. रजिस्ट्रार के कर्तव्य ।
34. परिषद् की निधियां ।
35. उद्देश्य जिन के लिए परिषद् की निधि उपयोजित की जाएगी ।
36. लेखे और संपरीक्षा ।
37. बजट ।

38. रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण और राज्य रजिस्टर ।
39. कैपिटेशन फीस, चन्दा (डोनेशन) आदि वसूल करना प्रतिषिद्ध ।
40. राज्य रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से उसके हटाए जाने का आदेश देने की परिषद् की शक्ति ।
41. राज्य रजिस्टर में परिवर्तन ।
42. जांचों में प्रक्रिया ।
43. परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील ।
44. इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध ।
45. कतिपय मामलों में उपाधि प्रदान करने का प्रतिषेध ।
46. अपराध और शास्तियां ।
47. धारा 19, 20, 21, 27 या 39 के उल्लंघन के लिए शास्ति ।
48. कम्पनियों द्वारा अपराध ।
49. प्रमाणपत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिए शास्ति ।
50. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी ।
51. अपराध का संज्ञान ।
52. राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण ।
53. नियम बनाने की शक्ति ।
54. विनियम बनाने की शक्ति ।

अनुसूची

2011 का अधिनियम संख्यांक 16

हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सह-पशु चिकित्सीय परिषद् की स्थापना करने तथा सह-पशु चिकित्सकों और सह पशु-चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद् अधिनियम, 2010 है ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुमोदित संस्था" से राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय, रोग जांच प्रयोगशालाएं, पशु चिकित्सीय पोलीक्लीनिक, पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सीय औषधालय, पशुधन और मुर्गी फार्म या विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति, उसे कोई सह-पशु चिकित्सीय अर्हता प्रदान करने से पूर्व, कोई प्रशिक्षण, यदि कोई उसके अध्ययन पाठ्यक्रम द्वारा अपेक्षित हो, प्राप्त कर सकेगा ;

(ख) "परिषद्" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित सह-पशु चिकित्सीय परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

- (घ) "सह-क्लीनिकल स्थापन" से युक्तियों और उपस्करों की सहायता से पैथोलॉजिकल, वैक्टीरिओलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल अन्वेषणों और अन्य नैदानिक सेवाओं की पूर्ति के लिए एक स्वतन्त्र सत्ता के रूप में या किसी स्थापन, जैसे कि चिकित्सालय, पोलीक्लीनिक, औषधालय, विशेष कैंप जहां अशक्त, घायल या विकलांग पशुओं को ईलाज, देखरेख या देखभाल करने के लिए या बाह्यरोगी के रूप में लाया जाता है, स्थापित स्थान अभिप्रेत है;
- (ङ) "सह-पशु चिकित्सक" से सह-पशु चिकित्सीय विषय में अर्हित व्यक्ति अभिप्रेत है और जो पशु चिकित्सा औषधि के व्यवसाय में सहायता करता है तथा पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, पशुपालन सहायक (ए.एच.ए.) या मुख्य पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के रूप में पदाभिहित है;
- (च) "संस्था" से भारत के भीतर या बाहर, ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो सह-पशु चिकित्सा में उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति प्रदान करती है;
- (छ) "सह-पशु चिकित्सीय अर्हता" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में वर्णित सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा सम्बन्धी अर्हता अभिप्रेत है;
- (ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (झ) "अध्यक्ष" से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ञ) "मान्यताप्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता" से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार से मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा किसी भी सह-पशु चिकित्सीय अर्हता में दी गई कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (ट) "रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी" से इस अधिनियम की धारा 38 के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ठ) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम की धारा 32 के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;
- (ड) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ढ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है; और
- (ण) "राज्य रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है तथा पद "रजिस्ट्रीकृत" और "रजिस्ट्रीकरण" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

3. परिषद् की स्थापना.—(1) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उस में विनिर्दिष्ट की जाए, सह-पशु चिकित्सीय परिषद् की स्थापना करेगी।

(2) परिषद्, हिमाचल प्रदेश सह-पशु चिकित्सीय परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने और संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम द्वारा वाद ला सकेगी और उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

4. परिषद् का गठन.—(1) परिषद्, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) पदेन सदस्य :

(क) निदेशक, पशुपालन, हिमाचल प्रदेश

अध्यक्ष;

- | | |
|--|------------|
| (ख) जी०सी०नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पालमपुर का संकायाध्यक्ष (डीन) | उपाध्यक्ष; |
| (ग) उप-निदेशक, महामारी विज्ञान राज्य स्तरीय पशु चिकित्सा चिकित्सालय, शिमला | सदस्य; |
| (घ) जी०सी०नेगी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, पालमपुर के चिकित्सा विभाग का विभागाध्यक्ष | सदस्य; और |
| (ङ) माईक्रोबायलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, सर्जरी एवं रेडियोलॉजी विभाग के आचार्य एवं विभागाध्यक्ष | सदस्य; |

(ii) गैर सरकारी सदस्य:

रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायियों द्वारा अपने में से, ऐसी रीति में जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, निर्वाचित किए जाने वाले पाँच निर्वाचित सदस्य:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार परिषद् का गठन होने की दशा में, इस प्रवर्ग के सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों के पद ग्रहण करने तक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(iii) रजिस्ट्रार, परिषद् का सचिव होगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति एक समय में, सदस्य के रूप में, एक से अधिक हैसियत में सेवा नहीं करेगा ।

5. सदस्यता के लिए निरर्हताएं.—(1) कोई भी व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि :-

- (क) वह भारत का नागरिक नहीं है; या
- (ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; या
- (ग) वह विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या
- (घ) वह नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया गया है ; या
- (ङ) वह परिषद् का कर्मचारी है और उसे वेतन या मानदेय द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है ; या
- (च) उसका नाम, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन बनाए गए राज्य रजिस्टर में से या रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक या सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी के रजिस्टर में से, हटा दिया गया है ।

6. परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि.—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, गैर सरकारी सदस्य परिषद् की प्रथम बैठक की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का अवसान हो जाने पर भी, पद छोड़ने वाला सदस्य, कार्यालय में तब तक बना रहेगा, जब तक नया सदस्य यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित नहीं हो जाता और पद ग्रहण नहीं कर लेता ।

7. **गैर सरकारी सदस्यों द्वारा त्यागपत्र.**—परिषद् का गैर सरकारी सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा ।

8. **परिषद् के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निर्योग्यताएं.**—(1) यदि परिषद् का कोई गैर सरकारी सदस्य अपने पद की अवधि के दौरान—

- (क) परिषद् की अनुमति के बिना परिषद् की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या
- (ख) लगातार बारह मास से अधिक की अवधि के लिए विदेश में रहा हो; या
- (ग) धारा 5 में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है ; या
- (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी नहीं रहता है; तो परिषद् उसका पद रिक्त घोषित करेगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि परिषद् के सम्बद्ध सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी घोषणा से व्यथित कोई गैर सरकारी सदस्य, ऐसी घोषणा की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

9. **आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.**—यदि परिषद् के किसी गैर सरकारी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग देता है या अन्यथा सदस्य नहीं रहता है, तो रिक्ति यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति, उस सदस्य, जिस के स्थान पर वह सदस्य बना है, की अनवसित पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।

10. **बैठक का बुलाया जाना.**—(1) परिषद्, ऐसे समय, तारीख और स्थान पर बैठक करेगी, जैसा अध्यक्ष नियत करे ।

(2) अध्यक्ष, जब-जब वह उचित समझे, विशेष बैठक बुला सकेगा और वह परिषद् के कम से कम आठ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित अध्यक्षता की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर, ऐसा करने के लिए बाध्य होगा ।

(3) प्रत्येक बैठक की सूचना, उसमें उसका समय तथा स्थान और बैठक में किए जाने वाले काम काज को विनिर्दिष्ट करते हुए, साधारण बैठक के ठीक पन्द्रह दिन पूर्व और किसी विशेष बैठक के ठीक सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को प्रेषित की जाएगी ।

(4) बैठक में, उससे सम्बन्धित सूचना में विनिर्दिष्ट कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज, अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाय नहीं किया जाएगा ।

(5) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाएगी ।

(6) परिषद् की कोई भी बैठक, परिषद् के उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से समय-समय पर, उसी दिन बाद के समय तक या किसी अन्य तारीख तक के लिए स्थगित की जा सकेगी, किन्तु स्थगित बैठक में छोड़े गए कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज, ऐसी बैठक में नहीं किया जाएगा । परिषद् के कार्यालय में या उस बैठक के स्थान पर, जिस में बैठक को उस दिन स्थगित किया गया है, चिपकाई गई स्थगन की सूचना, ठीक आगामी बैठक की पर्याप्त सूचना समझी जाएगी ।

(7) परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी ।

(8) यदि बैठक में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो पीठासीन प्राधिकारी, उसे ऐसे समय या ऐसी तारीख के लिए, जो वह उचित समझे, स्थगित करेगा और बैठक के लिए रखे गए कामकाज को पश्चात्पूर्ती बैठक में किया जाएगा, चाहे ऐसी बैठक में गणपूर्ति हो या न हो ।

(9) बैठक के लिए नियत किए गए काम काज से भिन्न कोई भी कामकाज ऐसी पश्चात्पूर्ती बैठकों में नहीं किया जाएगा ।

(10) स्थगन की सूचना, परिषद् के कार्यालय में या बैठक के स्थान पर उस दिन चिपकाई जाएगी जिस दिन बैठक स्थगित की गई है ।

11. बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय.—इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, परिषद् की बैठक के समक्ष लाए गए सभी प्रश्न, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर रहने की दशा में, बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीठासीन प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

12. कार्यवाहियों के कार्यवृत्त.—(1) परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, इस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किए जाएंगे और उस में उपस्थित परिषद् के सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे; तथा उस पर पीठासीन प्राधिकारी द्वारा उसी या ठीक आगामी बैठक में पुष्टिकरण के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की एक प्रति, उसकी पुष्टिकरण की तारीख से दस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी ।

13. रिक्तियां आदि, कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएंगी.—परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होंगी कि —

(क) उस में कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

14. बैठक की कार्यवाहियों का विधिमान्य होना.—जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, जब बैठक के कार्यवृत्तों पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हस्ताक्षर कर दिए गए हों, तो परिषद् की प्रत्येक बैठक, सम्यक् रूप से बुलाई गई समझी जाएगी ।

15. परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते.—परिषद् के गैर सरकारी सदस्य, ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

16. सह-पशु चिकित्सा औषधि में ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमन्त्रित करने की परिषद् की शक्ति.—(1) परिषद्, यदि आवश्यक समझे, अपनी बैठक में सह-पशु चिकित्सा औषधि में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी विषय पर उसके विचारों को सुनने के लिए, आमन्त्रित कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति को, विषय पर चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु परिषद् की बैठक में उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(2) आमन्त्रिती, ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसे परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों को अनुज्ञेय है ।

17. समिति की नियुक्ति.—(1) परिषद्, समय-समय पर और ऐसी कालावधि के लिए, अपने सदस्यों की ऐसी संख्या को मिलाकर, जैसी वह उचित समझे, एक समिति नियुक्त कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन किसी विषय को, उस पर जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए या राय प्राप्त करने के लिए, उस समिति को निर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समिति अपनी प्रथम बैठक में, अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष निर्वाचित करेगी ।

(3) ऐसी समिति की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समिति की बैठकों का बुलाया जाना और उनका आयोजन किया जाना तथा ऐसी समिति के कारबार का संचालन ऐसा होगा, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

18. परिषद् की शक्तियां और कृत्य.—(1) इस अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे,—

- (क) सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर बनाए रखना;
- (ख) रजिस्ट्रार के विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों की, ऐसी रीति में जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, सुनवाई करना या उनका विनिश्चय करना ;
- (ग) रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायियों के वृत्तिक आचरणों को विनियमित करने के लिए, विनियमों द्वारा नैतिक आचार संहिता विहित करना ;
- (घ) किसी रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी की भर्त्सना करना या राज्य रजिस्टर में से नाम निलम्बित कर देना या हटा देना या उसके विरुद्ध ऐसी अन्य अनुशासनिक कार्रवाई करना, जैसी परिषद् की राय में आवश्यक या समीचीन हो ;
- (ङ) किसी भी सदस्य को परिषद् की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति देना ;
- (च) नए सह-पशु चिकित्सीय विषयों की स्थापना में नई पद्धतियां, अनुसंधान और विकास का संवर्धन करना ;
- (छ) सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा का संवर्धन करने के लिए योजनाएं बनाना ;
- (ज) सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा, पशु चिकित्सा शिक्षा और पशु चिकित्सा औषधि की पद्धति के बीच प्रभावी सम्बन्धों का संवर्धन करना और इन विषयों में अनुसंधान और विकास का संवर्धन करना;
- (झ) पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या, शारीरिक तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं कर्मचारिवृन्द पैटरन, कर्मचारिवृन्द अर्हताएं, गुणवत्ता अनुदेश, निर्धारण, परीक्षाओं और सतत् पशु चिकित्सा शिक्षा के मानक और स्तरमान अधिकथित करना ;
- (ञ) अध्यापन (ट्यूशन) एवं अन्य फीसों को प्रभारित करने के लिए मानक तथा दिशानिर्देश नियत करना ;
- (ट) पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में, किसी सह-पशु चिकित्सीय निकाय या संस्था को चार्टर प्रदान करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ;

- (ठ) सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं और सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश देना;
- (ड) किसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना, ;
- (ढ) परीक्षा का संचालन करने और स्तरमान की एकरूपता बनाए रखने हेतु बोर्ड का गठन करना या प्राधिकृत करना ;
- (ण) सह-पशु चिकित्सीय स्थापनों को रजिस्ट्रीकृत करना ;
- (त) सह-पशु चिकित्सीय स्थापनों की स्थापना हेतु न्यूनतम स्तरमान विहित करना;
- (थ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं ; और
- (द) धारा 4 की उपधारा (1) की मद (ii) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन का संचालन करना ।

19. नई सह-पशु चिकित्सीय संस्था की स्थापना के लिए अनुज्ञा.—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

- (क) कोई भी व्यक्ति सह-पशु चिकित्सीय संस्था की स्थापना नहीं करेगा ; और
- (ख) कोई भी सह-पशु चिकित्सीय संस्था, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार अभिप्राप्त राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय —
- (i) कोई नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं खोलेगी, जो ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के किसी छात्र को कोई मान्यता प्राप्त सह-पशु चिकित्सीय संस्था अर्हता प्रदान किए जाने के लिए अर्हित होने लिए समर्थ बनाए ; या
- (ii) किसी अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगी ।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई विश्वविद्यालय या न्यास है, किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार नहीं है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार परिषद् को एक योजना प्रस्तुत करेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट योजना ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी और ऐसी फीस सहित, ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी, जैसी विहित की जाए ।

(4) परिषद् द्वारा उपधारा (2) के अधीन योजना की प्राप्ति पर परिषद्, सम्बद्ध व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो वह आवश्यक समझे, अभिप्राप्त कर सकेगी और तत्पश्चात् वह—

- (क) यदि योजना त्रुटिपूर्ण है और उसमें कोई आवश्यक विशिष्टियां नहीं दी गई हैं, तो सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था को लिखित अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट त्रुटियों को, यदि कोई हों, सुधार सकेगी; और
- (ख) उपधारा (8) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, योजना पर विचार कर सकेगी और योजना को, अपनी सिफारिशों सहित, राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी ।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (4) के अधीन योजना पर और परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और जहां आवश्यक हो वहां सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो वह आवश्यक समझे, अभिप्राप्त करने के पश्चात् और उपधारा (1) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, योजना का या तो (ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे) अनुमोदन या अननुमोदन कर सकेगी और ऐसा कोई अनुमोदन, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा होगा :

परन्तु किसी योजना का, सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, राज्य सरकार द्वारा अननुमोदन नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात, किसी व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था को, जिसकी योजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है, नई योजना प्रस्तुत करने से निवारित नहीं करेगी और इस धारा के उपबन्ध ऐसी योजना को ऐसे लागू होंगे, मानो ऐसी योजना उपधारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गई हो।

(6) जहां उपधारा (2) के अधीन परिषद् को योजना के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश, योजना को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या संस्था को संसूचित नहीं किया गया है, वहां ऐसी योजना, उस प्ररूप में जिसमें वह परिषद् को प्रस्तुत की गई थी, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई समझी जाएगी और तदनुसार, उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित राज्य सरकार की अनुज्ञा भी दे दी गई समझी जाएगी।

(7) उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट समय सीमा की संगणना करने में, परिषद् द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मांगी गई किन्हीं विशिष्टियों को देने में, योजना को प्रस्तुत करने वाले सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था द्वारा लिए गए समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(8) परिषद्, उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय और राज्य सरकार, उपधारा (5) के अधीन योजना का अननुमोदन या अनुमोदन करने वाले किसी आदेश को पारित करते समय, निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान रखेगी, अर्थात् :-

- (क) क्या प्रस्तावित सह-पशु चिकित्सीय संस्था या विद्यमान सह-पशु चिकित्सीय संस्था, जो नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खोलना चाहती है, इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन परिषद् द्वारा यथाविहित सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्रदान करने की स्थिति में होगी ;
- (ख) क्या उस व्यक्ति के पास, जो किसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था की स्थापना करना चाहता है या किसी विद्यमान सह-पशु चिकित्सीय संस्था के पास, जो नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खोलना चाहती है या अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहती है, पर्याप्त वित्तीय साधन हैं ;
- (ग) क्या सह-पशु चिकित्सीय संस्था का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए या नया अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने या वर्धित प्रवेश क्षमता के आवासन के लिए कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं की बाबत आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है या योजना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर व्यवस्था कर दी जाएगी ;
- (घ) क्या ऐसे छात्रों की, जिनके ऐसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होने की सम्भावना है या वर्धित प्रवेश क्षमता के परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पशु चिकित्सा चिकित्सालय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है या योजना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर व्यवस्था कर दी जाएगी;
- (ङ) क्या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनके पास मान्यता प्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हताएं हैं, ऐसे छात्रों को, जिनके ऐसे सह-पशु चिकित्सीय संस्था या अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में

उपस्थित होने की सम्भावना है, उचित प्रशिक्षण देने के लिए कोई इन्तजाम किया गया है या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(च) पशु-चिकित्सा औषधि व्यवसाय के क्षेत्र में जन शक्ति की अपेक्षा; और

(छ) कोई अन्य बातें जो विहित की जा सकेंगी ।

(9) जहां राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करने वाला कोई आदेश पारित करती है, वहां उस आदेश की एक प्रति सम्बद्ध व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था को संसूचित की जाएगी ।

20. कतिपय मामलों में सह-पशु चिकित्सीय अर्हता की अमान्यता.—जहां इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोई सह-पशु चिकित्सीय संस्था स्थापित की जाती है या कोई सह-पशु चिकित्सीय संस्था कोई नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम आरम्भ करती है या अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करती है, वहां ऐसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था द्वारा किसी छात्र को इस प्रकार दी गई सह-पशु चिकित्सीय अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता नहीं होगी ।

21. कतिपय विद्यमान सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अवधि.—यदि किसी व्यक्ति ने सह-पशु चिकित्सीय संस्था स्थापित की है या किसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था ने नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ किया है या प्रवेश क्षमता में वृद्धि की है तो, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करेगी ।

22. कतिपय सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं, जिनकी अर्हताएं अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, द्वारा अनुदत्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता को मान्यता.—भारत की ऐसी कोई सह-पशु चिकित्सीय संस्था, जो अपने द्वारा अनुदत्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता को अनुसूची में सम्मिलित करवाना चाहती है, ऐसी अर्हता की मान्यता के लिए राज्य सरकार को, ऐसी आवेदन फीस के साथ, जैसी विनियमों द्वारा नियत की जाए, आवेदन कर सकेगी और राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का इस प्रकार संशोधन कर सकेगी कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाए, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी निदेश दिया जा सकेगा कि अनुसूची के अन्तिम स्तम्भ में ऐसी सह-पशु चिकित्सीय अर्हता के सामने, यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि की जाएगी कि वह मान्यताप्राप्त सह पशु-चिकित्सीय अर्हता तभी होगी, जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की गई हो ।

23. अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति.—भारत में प्रत्येक विश्वविद्यालय या सह-पशु चिकित्सीय संस्था, जो मान्यताप्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता प्रदान करती है, ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरे किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रमों और दी जाने वाली परीक्षाओं के बारे में, उस आयु के बारे में, जिसमें ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना और परीक्षाओं का दिया जाना और ऐसी अर्हता का प्रदान किया जाना अपेक्षित है, और साधारणतया ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए अपेक्षाओं के बारे में ऐसी जानकारी देगी, जिसकी परिषद् समय-समय पर, अपेक्षा करे ।

24. सह-पशु चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण.—परिषद्, जब भी आवश्यक समझे, सभी सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं का निरीक्षण करवा सकेगी ।

25. मान्यता का वापस लिया जाना.—(1) यदि परिषद् को यह प्रतीत होता है कि,—

(क) किसी विश्वविद्यालय या सह-पशु चिकित्सीय संस्था में, पूरे किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, परिषद् द्वारा विनियमों द्वारा विहित स्तरमानों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय या सह-पशु चिकित्सीय संस्था या उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था में कर्मचारिवृन्द, उपस्कर, वाससुविधा, प्रशिक्षण और उसमें दिए जाने वाले अनुदेश और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं, परिषद् द्वारा विनियमों द्वारा विहित स्तरमानों के अनुरूप नहीं हैं;

तो परिषद्, मान्यता की वापसी के लिए कार्रवाई करेगी ।

(2) परिषद्, मान्यता वापस लिए जाने से पूर्व सह-पशु चिकित्सीय संस्था या विश्वविद्यालय को, वह अवधि विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसके भीतर जवाब प्रस्तुत किया जाएगा, कारण बताओ नोटिस जारी करेगी ।

(3) जवाब की प्राप्ति पर या जहां कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत न किया गया हो, वहां उस अवधि का अवसान होने पर परिषद्, मामले में विनिश्चय करेगी ।

26. सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा के न्यूनतम स्तरमान.—परिषद् भारत की सह-पशु चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा (स्नातकोत्तर सह-पशु चिकित्सीय अर्हता से भिन्न) मान्यता प्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा के न्यूनतम स्तरमान, विनियमों द्वारा विहित कर सकेगी ।

27. सह-पशु चिकित्सीय स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण.—कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत हुए बिना और इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण के निबन्धनों के अनुसार के सिवाय, कोई सह-पशु चिकित्सीय स्थापन नहीं खोलेगा, रखेगा या चलाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, ऐसे सह-पशु चिकित्सीय स्थापन को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान है, ऐसी तारीख से छह मास की अवधि के लिए या जहां आवेदन इस अवधि के भीतर इस अधिनियम की धारा 28 के उपबन्धों के अनुसार किया है, तब तक, जब तक आवेदन का निपटारा न कर दिया जाए, लागू नहीं होगी ।

28. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो सह-पशु चिकित्सीय स्थापन को चलाने का आशय रखता हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, क्लीनिकल स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए परिषद् को आवेदन करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के रजिस्ट्रीकरण या उपधारा (6) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में, ऐसी विशिष्टियां होंगी और ऐसी फीस संलग्न होगी, जैसी विनियमनों द्वारा विहित की जाए ।

(3) यदि परिषद् का समाधान हो जाता है, कि आवेदक और सह-पशु चिकित्सीय स्थापन, ऐसे निबन्धन और शर्तें जैसी विहित की जाएं, पूरी करता है, तो आवेदक और ऐसे सह-पशु चिकित्सीय स्थापन को रजिस्टर करेगी और उसे सह-पशु चिकित्सीय स्थापन की बाबत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करेगी ।

(4) परिषद्, आवेदन को नामंजूर कर सकेगी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक या सह-पशु चिकित्सीय स्थापन, उपधारा (3) के अधीन विहित शर्तों को पूरा नहीं करता है और प्रत्येक मामले में जहाँ आवेदन नामंजूर किया गया है, उसके कारणों को लिखित रूप में, अभिलिखित किया जाएगा ।

(5) इस अधिनियम की धारा 29 के उपबन्धों के अधीन, इस धारा के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रवृत्त होगा और इसके उपधारा (3) के अधीन प्रदान किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जब तक कि इसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पूर्वतर रद्द नहीं कर दिया जाता ।

(6) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता के अवसान से पूर्व, छह माह की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

29. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.—सह-पशु चिकित्सीय स्थापन को, इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात्, किसी भी समय परिषद्, ऐसा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि :-

- (i) रजिस्ट्रीकरण के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; या
- (ii) व्यक्ति, जिसके नाम से सह-पशु चिकित्सीय स्थापन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है; या
- (iii) विधिक व्यक्ति सहित, कोई अन्य व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है, किसी अन्य विधिक व्यक्ति या अन्य सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के साथ सहयुक्त है ।

30. सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के न्यूनतम मानक.—(1) प्रत्येक सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के भवनों, स्थान, सुविधा, उपस्कर और जनशक्ति के ऐसे न्यूनतम मानक होंगे, जैसे परिषद् द्वारा, विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(2) प्रत्येक सह-पशु चिकित्सीय स्थापन, अनुसेवित या दाखिल या उपचारित सभी पशुओं का, विहित रीति में अभिलेख बनाएगा तथा बनाए रखेगा और ऐसे अभिलेख या उनके उद्धरण, परिषद् या राज्य सरकार के प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी, जो सम्बद्ध जिला के उप-निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, के मांग करने पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(3) मांग किए जाने पर, पशु के स्वामी या स्वामी द्वारा इस प्रभाव में विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, पशु चिकित्सीय स्थापन द्वारा दाखिले, परामर्श, परीक्षण, निदान और उपचार के अभिलेख की अधि-प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी ।

31. सह-पशु चिकित्सीय स्थापन का निरीक्षण.—(1) परिषद् या राज्य सरकार का कोई प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी, जो सम्बद्ध जिला के उप-निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, साधारण या विशेष आदेश, जैसा राज्य सरकार द्वारा किया जाए, के अध्यक्षीन किसी परिसर, जिसके लिए परिषद् या ऐसे प्राधिकृत राज्य सरकार के अधिकारी के विश्वास करने के युक्तियुक्त हेतुक हों, कि इनको सह-पशु चिकित्सीय स्थापन के प्रयोजन हेतु प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है, में प्रवेश और निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) यदि परिषद् या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को विश्वास करने का कारण है, कि कोई वस्तु या वस्तुओं की श्रेणी अथवा कोई अभिलेख, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभिगृहीत किए जाने हों, तो वह किसी वस्तु या अभिलेख, जो उसकी राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही को चलाने के लिए उपयोगी और सुसंगत है, का अभिग्रहण कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत की गई वस्तुओं या अभिलेख के लिए रसीद देगा ।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, जहां तक समुचित हो, इस अधिनियम के अधीन की गई ऐसी प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे ।

32. परिषद् का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी (सेवक).—(1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, जो परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(2) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों (सेवकों) को नियोजित कर सकेगी, जैसे वह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ।

(3) रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों (सेवकों) की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान, ऐसे होंगे जैसे परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमों द्वारा अवधारित करे ।

(4) इस धारा के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी (सेवक), भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

33. रजिस्ट्रार के कर्तव्य.—(1) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों और परिषद् द्वारा दिए गए किसी आदेश के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे और बनाए रखे, उसे ऐसी रीति में, जैसी समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित की जाए, पुनरीक्षित करे, उसे राजपत्र में प्रकाशित करे और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जिनकी इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किए जाने की उससे अपेक्षा हो या की जाए।

(2) रजिस्ट्रार का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि राज्य रजिस्टर, यथासम्भव सभी समयों पर सही है और वह उसमें, समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायियों के पते या उनकी अर्हताओं में हुए किसी सारवान परिवर्तन को प्रविष्ट कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार, राज्य रजिस्टर में से उस रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी का नाम हटा सकेगा, जिसकी मृत्यु हो जाती है या जिसका नाम राज्य रजिस्टर में से परिषद् द्वारा हटाए जाने के लिए उसे निदेशित किया गया हो या जो सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी नहीं रह गया हो।

(4) रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा आवेदन करने पर, यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यवसायी ने व्यवसाय करना बन्द नहीं किया है, तो परिषद्, रजिस्ट्रार को निर्देश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में पुनः प्रत्यावर्तित करे और रजिस्ट्रार ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

34. परिषद् की निधियां.—परिषद्, एक निधि स्थापित करेगी, जो परिषद् की निधि कहलाएगी, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा:—

- (क) परिषद् में रजिस्ट्रीकृत समस्त सह-पशु चिकित्सकों से रजिस्ट्रीकरण फीस ;
- (ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा कोई अभिदाय या अनुदान ;
- (ग) फीस और जुर्मानों से हुई आय सहित, परिषद् की समस्त स्रोतों से आय;
- (घ) न्यास, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों; और
- (ङ) परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धन राशियां।

35. उद्देश्य जिन के लिए परिषद् की निधि उपयोजित की जाएगी.—परिषद् की निधि, निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोजित होगी:—

- (क) उन ऋणों के प्रतिदाय के लिए, जो परिषद् द्वारा इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रयोजनों के लिए, उपगत किए गए हों ;
- (ख) किसी ऐसे वाद या किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों के व्ययों के लिए, जिनमें परिषद् एक पक्षकार हो ;
- (ग) परिषद् के अधिकारियों और कर्मचारियों (सेवकों) के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए ;
- (घ) परिषद् के पदाधिकारियों को भत्तों के संदाय के लिए ;
- (ङ) इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए, परिषद् द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों के संदाय के लिए; और

(च) सह-पशु चिकित्सीय व्यवसाय के सामान्य हित में परिषद् द्वारा घोषित सह-पशु चिकित्सीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के उन्नयन और विकास के लिए उपगत किन्हीं अन्य व्ययों के लिए।

36. लेखे और संपरीक्षा.—(1) परिषद् के लेखों को, ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, तैयार किया जाएगा।

(2) परिषद् के लेखों की संपरीक्षा, रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जाएगी और चार्टर्ड एकाउन्टेंट की संपरीक्षा फीस ऐसी होगी, जैसी परिषद् द्वारा विनियमों द्वारा नियत की जाए।

(3) जैसे ही परिषद् के लेखों की संपरीक्षा हो जाए, परिषद् उसकी एक प्रति, राज्य सरकार को, ऐसी रीति में, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, भेजेगी।

37. बजट.—(1) रजिस्ट्रार, ऐसे प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए, वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए बजट तैयार करवाएगा और इसे परिषद् के समक्ष ऐसे समय पर, ऐसी रीति में रखवाएगा, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) उस बैठक, जिसमें बजट पास किया गया हो, की तारीख के पन्द्रह दिन के भीतर, इसे राज्य सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसको इस प्रकार अग्रेषित किए गए बजट के उपबन्ध, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो वह बजट को, ऐसे संशोधनों (उपान्तरणों) के लिए, जैसे राज्य सरकार द्वारा सुझाए जाएं, परिषद् को वापस करेगी।

(4) परिषद् ऐसी रकमों को, जैसा आवश्यक हो, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष और लघु शीर्षों में पुनः विनियोजित करने के लिए सक्षम होगी।

(5) परिषद्, जब भी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में जैसे विनियमों द्वारा विहित किया जाए अनुपूरक बजट पारित कर सकेगी और उपधारा (2), (3) और (4) के उपबन्ध ऐसे अनुपूरक बजट को लागू होंगे।

38. रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण और राज्य रजिस्टर.—(1) किसी भी व्यक्ति को सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में राज्य रजिस्टर में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक उसने मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त न कर ली हो और ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, का संदाय न कर दिया हो और भिन्न-भिन्न अर्हताओं के लिए भिन्न फीस विहित की जा सकेगी, किन्तु यह एक हजार रूपए से अधिक नहीं होगी और रजिस्ट्रीकरण तीन वर्ष के लिए विधिमान्य होगा।

(2) परिषद्, सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायियों का एक राज्य रजिस्टर, ऐसे प्ररूप में रखवाएगी, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के अन्तर्गत ऐसा रजिस्टर लोक दस्तावेज समझा जाएगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी, प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, अपने रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करवाएगा।

39. कैपिटेशन फीस, चन्दा (डोनेशन) इत्यादि वसूल करना प्रतिषिद्ध.—कोई भी व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सा संस्था, जो किसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था का भारसाधक है या उसके प्रबन्धन का उत्तरदायी है :—

(क) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई चन्दा (डोनेशन), दान या अन्य संदाय (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) चाहे नकद या माल के रूप में हो, या कोई राशि, कैपिटेशन फीस के रूप में स्वीकार नहीं करेगा; या

(ख) परिषद् द्वारा प्रस्तुत (संस्तुत) फीसों के मापमान से अधिक, कोई फीस या राशि स्वीकार नहीं करेगा ।

40. राज्य रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से उसके हटाए जाने का आदेश देने की परिषद् की शक्ति.—परिषद्, रजिस्ट्रार से निदेश प्राप्त होने पर या अन्यथा आदेश द्वारा, राज्य रजिस्टर में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रविष्टि किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उस रजिस्टर में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का आदेश दे सकेगी, जिसे, —

- (क) किसी दण्ड न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है; या
- (ख) परिषद् ने, जांच के पश्चात्, परिषद् की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, वृत्तिक अवचार में दोषी पाया हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिए बिना, पारित नहीं किया जाएगा।

41. राज्य रजिस्टर में परिवर्तन.—(1) परिषद्, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात्, यह आदेश दे सकेगी कि राज्य रजिस्टर में की गई कोई ऐसी प्रविष्टि, जो परिषद् की राय में, कपटपूर्वक या गलती से की गई है, या करवा दी गई है, रद्द कर दी जाए या संशोधित की जाए।

(2) परिषद्, किसी रजिस्ट्रीकृत सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में से सदैव के लिए या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हटाए जाने का निदेश उन्हीं कारणों से दे सकेगी, जिनके आधार पर रजिस्ट्रीकरण का इस अधिनियम की धारा 40 के अधीन परिषद् द्वारा प्रतिषेध किया जा सकेगा ।

(3) परिषद्, यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नाम, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें परिषद् अधिरोपित करना उचित समझे, पुनः प्रत्यावर्तित किया जाए।

42. जांचों में प्रक्रिया.—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए परिषद् या इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझी जाएगी, और वह लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के अधीन नियुक्त आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांच, यथाशक्य लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 की धारा 5 और धारा 8 से 20 तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी।

43. परिषद् के आदेश के विरुद्ध अपील.—ऐसा कोई भी व्यक्ति,—

- (क) जिसका राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, इस अधिनियम की धारा 38 या 41 के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो; या
- (ख) जिसके नाम की प्रविष्टि, राज्य रजिस्टर में इस अधिनियम की धारा 40 के अधीन प्रतिषेध कर दी गई हो; या
- (ग) जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो;

यथास्थिति, इस प्रकार नामंजूर किए जाने, प्रतिषेध किए जाने या हटाए जाने के आदेश के नब्बे दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

44. इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध.—(1) इस अधिनियम में अन्यथा, उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति, राज्य के भीतर सह-पशु चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में

व्यवसाय नहीं करेगा या स्वयं को, व्यक्तिगत लाभ के लिए, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, इस रूप में व्यपदेशित नहीं करेगा कि वह अभ्यासतः सह-पशु चिकित्सीय व्यवसाय करता है ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

45. कतिपय मामलों में उपाधि प्रदान करने का प्रतिवेध.—जहां परिषद् का, स्वप्रेरणा से या प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर या अन्यथा, समाधान हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति या सह-पशु चिकित्सीय संस्था ने, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए या जारी नियमों या विनियमों या आदेशों के सभी या किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, तो यह राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे,—

(क) प्रथम उल्लंघन की दशा में, सम्बद्ध सह-पशु चिकित्सीय संस्था को, ऐसे विद्यार्थियों को, जिनके सम्बन्ध में उल्लंघन किया गया है, किसी विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा संस्था में कोई परीक्षा देने के लिए उपस्थित करने के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी, जो ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सीय अर्हता प्राप्त करने हेतु अर्हित करने के लिए समर्थ बनाए; और

(ख) किसी दूसरे या पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में, इस अधिनियम के अधीन ऐसे कार्रवाई कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध सह-पशु चिकित्सीय संस्था को विद्यार्थियों का कोई और प्रवेश करने के लिए प्रतिषिद्ध करने की कार्रवाई करना भी है:

परन्तु परिषद् द्वारा कोई ऐसा आदेश, तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक सम्बद्ध सह-पशु चिकित्सीय संस्था और विद्यार्थियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति, सम्बद्ध सह-पशु चिकित्सीय संस्था और विद्यार्थी को संसूचित की जाएगी और साथ-साथ ही उसकी एक प्रति, सम्बद्ध विश्वविद्यालय या सह-पशु चिकित्सीय संस्था को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा पारित कोई आदेश और उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय या सह-पशु चिकित्सीय संस्था को संसूचित किया गया आदेश, अन्तिम होगा तथा तथाकथित विश्वविद्यालय और सह-पशु चिकित्सीय संस्था पर आबद्धकर होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय या सह-पशु चिकित्सीय संस्था को आदेश संसूचित किए जाने की तारीख के पश्चात् हुई किसी परीक्षा या अन्य टैस्ट के आधार पर, ऐसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था के किसी विद्यार्थी को प्रदत्त कोई सह-पशु चिकित्सीय अर्हता, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ऐसे विद्यार्थी के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त सह-पशु चिकित्सीय अर्हता नहीं रहेगी।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा किसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया गया है, राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या इसको प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना ऐसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था के विद्यार्थियों के हित में आवश्यक और समीचीन है, तो वह ऐसे पग उठाएगी, जिन्हें वह ऐसी सह-पशु चिकित्सीय संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक समझे ।

46. अपराध और शस्तियां.—(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 19 में यथा अपेक्षित राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थापित कोई सह-पशु चिकित्सीय संस्था या उसमें प्रारम्भ किए गए पाठ्यक्रम या प्रवेश क्षमता में की गई बढौतरी को, चाहे जो राज्य सरकार सहित, किसी भी प्राधिकरण द्वारा हो, विनियमित नहीं किया जाएगा।

(2) जो कोई भी उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन किसी भी अनुज्ञा के लिए पात्र नहीं होगा और यह निरर्हता उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम की धारा 19 का उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

(3) यदि कोई अनुमोदित या मान्यताप्राप्त सह-पशु चिकित्सीय संस्था, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, पाठ्यक्रम प्रारम्भ करती है और विद्यार्थियों को प्रवेश देती है, तो ऐसी संस्था की, अनुमोदित प्रवेश क्षमता को, उसके सभी अनुमोदित पाठ्यक्रमों से, पच्चीस प्रतिशत कम कर दिया जाएगा और ऐसी संस्था को आगामी शैक्षणिक वर्ष में प्रबन्ध मण्डल या अनिवासी भारतीय कोटे के विरुद्ध किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

47. धारा 19, 20, 21, 27 या 39 के उल्लंघन के लिए शास्ति.—(1) जो कोई भी इस अधिनियम की धारा 19, 20, 21, 27 या 39 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह इस अधिनियम की धारा 45 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन दोषसिद्धि की गई है, तो न्यायालय उस उपधारा के अधीन कोई दण्ड देने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा, सह-पशु चिकित्सीय संस्था या सिद्धदोष किसी अन्य व्यक्ति से, इस प्रकार अधिक वसूल की गई राशि को, उस व्यक्ति को जिससे यह वसूल की गई है, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी आदेश में विहित की जाए, लौटाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

48. कम्पनियों द्वारा अपराध.—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और वह कम्पनी भी, उस अपराध की दोषी समझी जाएगी और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे किसी व्यक्ति को दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध को किया जाना निवारित करने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कम्पनी के, यथास्थिति, किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी ओर से हुई किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदानुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिए दायी होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए :—

- (क) 'कम्पनी' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म, संस्था, सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है ; और
- (ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से, उस फर्म का व्यक्ति अभिप्रेत है ।

49. प्रमाणपत्र को बेईमानी से उपयोग में लाने के लिए शास्ति.—कोई भी व्यक्ति, जो,—

- (क) इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का बेईमानी से उपयोग करता है; या

- (ख) किसी मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाणपत्र या व्यपदेशन को, चाहे वह लिखित में हो या अन्यथा, करके या पेश करके अथवा कराकर, या पेश कराकर, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; या
- (ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से सम्बन्धित किसी विषय में, कोई भी मिथ्या व्यपदेशन, जानबूझकर करता है या करवाता है;

दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपए तक का हो सकेगा, किन्तु पांच हजार रूपए से कम न होगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

50. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी.—परिषद्, ऐसी रिपोर्टें, अपने कार्यवृत्तों की प्रतिलिपियां, अपने लेखों के संक्षिप्त सार और ऐसी अन्य जानकारी राज्य सरकार को देगी, जिनकी राज्य सरकार अपेक्षा करे।

51. अपराध का संज्ञान.—(1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, रजिस्ट्रार या परिषद् द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिखित में किए गए परिवाद पर करने के सिवाय, नहीं लेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

52. राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण.—यदि राज्य सरकार को, किसी भी समय, यह प्रतीत होता है कि परिषद्, उसे प्रदत्त की गई किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रही है या उसने उनका अतिरेक या दुरुपयोग किया है या वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी कर्तव्य का पालन करने में असफल रही है, तो राज्य सरकार, यदि वह यह विचार करती है कि ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरुपयोग, गम्भीर स्वरूप का है, उसे ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरुपयोग का, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपचार किए जाने की अपेक्षा करते हुए, उनकी विशिष्टियां, परिषद् को अधिसूचित कर सकेगी और यदि परिषद्, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरुपयोग का उपचार करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार, परिषद् को विघटित कर सकेगी और परिषद् की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन, इस निमित्त सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, ऐसी अवधि के लिए, जो छह मास से अधिक नहीं होगी, करवा सकेगी और नई परिषद् को अस्तित्व में लाने के लिए कदम उठाएगी।

53. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य—शीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें यह इस प्रकार रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

54. विनियम बनाने की शक्ति.—(1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और इस अधिनियम की धारा 53 के अधीन बनाए नियमों के अधीन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगी और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में समस्त या निम्नलिखित किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) परिषद् की सम्पत्ति का प्रबन्ध और उसके लेखों का अनुरक्षण और उनकी संपरीक्षा ;
- (ख) परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की रीति ;
- (ग) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य ;
- (घ) समितियों की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समितियों की बैठकों का बुलाया जाना और उनका आयोजन किया जाना और ऐसी समितियों के कारबार का संचालन ;
- (ङ) परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ;
- (च) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के कारण हुई अपीलों को सुनने और उन्हें विनिश्चित करने की रीति;
- (छ) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने के लिए आचार संहिता;
- (ज) इस अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों (सेवकों) की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान;
- (झ) इस अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण की रीति; और
- (ञ) इस अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन राज्य रजिस्टर का प्ररूप।

(2) राज्य सरकार, अनुमोदन के लिए विनियमों की प्राप्ति पर, उन्हें किसी उपांतरण के बिना या उपांतरणों सहित, जैसे वह उचित समझे, अनुमोदित कर सकेगी या विनियमों को पुनर्विचार के लिए परिषद् को लौटा सकेगी ।

अनुसूची

पशु चिकित्सीय अर्हताएं
(धारा 2 (छ) देखें)

1. **पशुधन और कुक्कट प्रबन्धन**—पशुधन और कुक्कट नस्लों, विभिन्न पशुओं के शारीरिक बिन्दु (प्वाइंट), प्रबन्ध करना (हैंडलिंग) और कॉस्टिंग की तकनीक, पशुधन का प्रबन्धन और औषधि देने का ज्ञान।
2. **शरीर की बनावट और कार्य (प्रारम्भिक ज्ञान)** :— पालतू पशुओं के विभिन्न अंगों के विभिन्न तन्त्रों की पहचान, शरीर के कंकाल का अध्ययन और विभिन्न तन्त्रों का शारीरिक अध्ययन करना।
3. **पशुचारा और चारा**— पशुचारे के वृक्षों और पौधों, भूसा तथा खत्ते में रखा हुआ चारा बनाने और चारे की फसलों की खेती करने का ज्ञान ।
4. **पशु चिकित्सीय फॉर्मसी** :— औषध विज्ञान (फार्माकोलॉजी), विष-विज्ञान (टॉक्सिकोलॉजी), मैटेरिया मैडिका और फार्मसी का ज्ञान ।
5. **साधारण पशु-चिकित्सीय औषधि** :— रोग के लक्षण, असामान्यता की जांच और उसका पता लगाना, रोगों का निवारण या रोकथाम, विभिन्न रोगों का प्रारम्भिक ज्ञान, सर्पदर्श, जलने का घाव, तापाघात

और एलर्जी, सामान्य संक्रमण और परजीवी रोगों का ज्ञान, उनका प्राथमिक उपचार और नियन्त्रण करना। प्रयोगशाला के लिए नैदानिक सामग्री का संग्रहण और उसका प्रेषण करना।

6. सामान्य दवाओं (औषधि) की पहचान और उनका उपयोग करना।
7. सामान्य और विषैली दवाओं पर लेबल लगाना और उनका भण्डारण करना।
8. सामान्य मरहम, लोशन, घोल (टिंक्चर), लेप, सिरप और स्पिरिट को संयोजित करना तथा तैयार करना।
9. जननांगों और उनके कार्यों का परिचय देना।
10. जमे हुए (फ्रोजन) वीर्य का संग्रहण, रख-रखाव, लाने ले जाने और उसके परिरक्षण की तकनीक।
11. संकर बैलों का प्रबन्धन करना।
12. कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक का ज्ञान।
13. वीर्य के संग्रहण और वीर्य की गुणवत्ता का ज्ञान।
14. लिक्विड नाइट्रोजन और डिब्बों का अनुरक्षण।
15. शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त शब्दावली और पशुओं को शल्यक्रिया के लिए तैयार करना।
16. उपकरणों, शीशे के बर्तनों और मरहम-पट्टी की सामग्री को जीवाणु विहीन बनाना।
17. महत्वपूर्ण शल्यक उपकरणों की पहचान और उनका उपयोग करना।
18. कार्यालय के अभिलेख का अनुरक्षण करना।
19. विस्तारी क्रियाकलाप करना जैसे, डाटा संग्रहण और मेलों, कैंम्पों तथा रैलियों के आयोजन का विस्तार।
20. पशु, भेड़, कुक्कट पालन, खरगोश और होर्स ब्रीडिंग फार्मों में किए जा रहे व्यवहार/अभ्यास का प्रबन्धन करना।
21. शुक्राणु स्टेशन, रोग जांच, प्रयोगशाला और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला में किए जा रहे क्रियाकलापों का व्यावहारिक ज्ञान।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL ACT, 2010

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.

2. Definitions.
3. Establishment of Council.
4. Constitution of Council.
5. Disqualifications for membership.
6. Term of office of Non-official members of the Council.
7. Resignation by non-official member.
8. Disabilities for continuing as the member of the Council.
9. Filling of Casual Vacancies.
10. Convening of meeting.
11. Decision of questions by majority of votes.
12. Minutes of proceedings.
13. Vacancies etc. not to invalidate proceedings.
14. Proceedings of meeting to be valid.
15. Allowances of the non-official members of the Council.
16. Power of Council to invite any person having knowledge or experience in Para-veterinary medicine.
17. Appointment of Committee.
18. Power and functions of the Council.
19. Permission for establishment of new Para-veterinary Institution.
20. Non-recognition of Para-veterinary qualification in certain cases.
21. Time for seeking permission for certain existing Para-veterinary Institutions.
22. Recognition of Para-veterinary qualifications granted by certain Para-veterinary institutions whose qualifications are not included to the Schedule.
23. Power to require information as to courses of study and examinations.
24. Inspection of Para-veterinary institution.
25. Withdrawal of recognition.
26. Minimum standards of Para-veterinary education.
27. Registration of Para-veterinary establishments.
28. Application for registration.
29. Cancellation of registration.
30. Minimum standards of Para-veterinary establishment.
31. Inspection of Para-veterinary establishment.
32. Registrar and other officers and servants of the Council.
33. Duties of Registrar.
34. Funds of Council.
35. Objects to which fund of the Council shall be applied.
36. Accounts and Audit.
37. Budget.
38. Registration renewal and State Register.
39. Prohibition of collection of capitation fee, donation etc.
40. Power of council to prohibit entry to or to order removal from State Register.
41. Alteration of State Register.
42. Procedure in inquires.
43. Appeal against the order of the Council.
44. Prohibition on practice except as provided in this Act.
45. Prohibition of awarding degree in certain cases.
46. Offences and penalties.
47. Penalty for contravention of sections 19, 20, 21, 27 or 39.
48. Offences by companies.
49. Punishment for dishonest use of certificate.
50. Information to be furnished by the Council.
51. Cognizance of offence.

52. Control by State Government.
53. Power to make rules.
54. Power to make regulations.

Schedule.

Act No. 16 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH PARA-VETERINARY COUNCIL ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST JANUARY, 2011)

AN

Act

to provide for the establishment of Para-veterinary Council in the State of the Himachal Pradesh and to regulate the practice by Para-veterinarians and Para-veterinary institutions.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Para-veterinary Council Act, 2010.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “approved institution” means a State Level Veterinary Hospital, Disease Investigation Laboratories, Veterinary Polyclinic, Veterinary Hospital, Veterinary Dispensary, Livestock and Poultry Farms or other such institution recognized by a University as an institution in which a person may undergo the training, if any, required by his course of study before the award of any Para-veterinary qualification to him;
- (b) “Council” means Para-veterinary Council established under section 3 of this Act;
- (c) “Official Gazette” means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (d) “Para-clinical establishment” means a place catering to pathological, bacteriological, radiological, biological investigations or other diagnostic services with the aid and assistance of devices and equipments, established as an independent entity or part of an establishment such as a hospital, polyclinic, dispensary, special camps where, infirm, injured or disabled animals are brought for treatment, observation or care or seen as out patient;
- (e) “Para-veterinarian” means any personnel qualified in Para-veterinary subject and who helps in practice of veterinary medicine and designated as Veterinary Pharmacist, Animal Husbandry Assistant (AHA) or Chief Veterinary Pharmacist;
- (f) “institution” means any institution, within or outside India, which grants degrees, diplomas, certificates or licence in Para-veterinary;

- (g) “Para-veterinary qualification” means the qualification relating to Para-veterinary education, mentioned in the Schedule appended to this Act;
- (h) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
- (i) “President” means the President of the Council;
- (j) “recognized Para-veterinary qualifications” means a degree, diploma or certificate in any Para-veterinary qualifications, granted by any University established by law or any other institution recognized by the State Government in this behalf;
- (k) “registered Para-veterinary practitioner” means a person registered as such under section 38 of this Act;
- (l) “Registrar” means the Registrar appointed by the Council under section 32 of this Act;
- (m) “Schedule” means Schedule appended to this Act;
- (n) “State Government” means Government of Himachal Pradesh; and
- (o) “State Register” means a register maintained under this Act and expression “registered” and “registration” shall be construed accordingly.

3. Establishment of Council.— (1) The State Government shall, as soon as may be, establish, by notification published in the Official Gazette, a Para-veterinary Council with effect from such date, as may be specified therein.

(2) The Council shall be a body corporate by the name of the Himachal Pradesh Para-veterinary Council, and shall have perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable and to contract and to do all other things necessary for the purpose of this Act and may by the said name sue and be sued.

4. Constitution of Council.—(1) The Council shall consist of the following members, namely:—

- (i) EX-OFFICIO MEMBERS:
- | | |
|---|---------------------------|
| (a) Director, Animal Husbandry,
Himachal Pradesh | - <i>President</i> ; |
| (b) Dean, G. C. Negi, College of Veterinary
& Animal Sciences, Palampur | - <i>Vice-President</i> ; |
| (c) Deputy Director, Epidemiology,
State Level Veterinary Hospital, Shimla | - <i>Member</i> ; |
| (d) Heads of Department of Medicine,
G.C. Negi, College of Veterinary
& Animal Sciences, Palampur | - <i>Member</i> ; and |
| (e) Professor and Heads of Department of
Microbiology, Bio-Chemistry,
Pathology, Surgery & Radiology. | - <i>Members</i> ; |

(ii) NON-OFFICIAL MEMBERS:

Five elected members of the registered Para-veterinary practitioners to be elected from amongst themselves in such manner, as may be prescribed by regulations:

Provided that in case of constitution of the Council for the first time after the commencement of this Act, the members of this category shall be nominated by the State Government till the assumption of office by the elected members.

(iii) Registrar shall be the Secretary of the Council.

(2) No person shall at the same time serve as a member in more than one capacity.

5. Disqualifications for membership.—A person shall be disqualified for being a non-official member if—

- (a) he is not a citizen of India; or
- (b) he is an undischarged insolvent; or
- (c) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (d) he has been sentenced for an offence involving moral turpitude; or
- (e) he is an employee of the Council and is remunerated by salary or honorarium; or
- (f) his name has been removed from the State Register, or from the register of registered Veterinary or Para-veterinary practitioner maintained under any law for the time being in force.

6. Term of office of non-official members of the Council.—(1) Save as otherwise provided in this Act, non-official members shall hold office for a term of three years from the date of first meeting of the Council.

(2) Notwithstanding the expiration of the term specified under sub-section (1), an outgoing member shall continue in office until a new member is nominated or elected, as the case may be, and assumes office.

7. Resignation by non-official member.—Non-official member may resign from his office by a letter addressed to the President and the resignation shall take effect from the date of acceptance of his resignation by the President.

8. Disabilities for continuing as the member of the Council.—(1) If any non-official member during the period of his office,—

- (a) absent himself from three consecutive meetings of the Council without the permission of the Council; or
- (b) remained abroad for a period exceeding twelve consecutive months; or
- (c) becomes subject to any of the disqualifications specified in section 5; or

- (d) ceases to be registered Para-veterinary practitioner under any law, for the time being in force, the Council shall declare his office as vacant:

Provided that no declaration shall be made under this sub-section unless a reasonable opportunity of being heard is given to the concerned member of the Council.

- (2) Any non-official member aggrieved by a declaration under sub-section (1) may prefer an appeal to the State Government within ninety days from the date of such declaration and the decision of the State Government thereon shall be final.

9. Filling of casual vacancies.—If a non-official member dies or resigns, or otherwise ceases to be a member, the vacancy shall be filled, as soon as may be, by election, and the person so elected shall hold office for the unexpired term of office of the member in whose place he becomes a member.

10. Convening of meeting.—(1) The Council shall meet on such time, date and place, as the President may fix.

(2) The President may, whenever he thinks fit, call a special meeting, and shall be bound to do so within two weeks of the receipt of written requisition, signed by not less than eight members of the Council.

(3) The notice of every meeting specifying the time and place thereof and the business to be transacted thereat, shall be dispatched to every member fifteen clear days before an ordinary meeting and seven clear days before a special meeting.

(4) No business other than that specified in the notice relating thereto, shall be transacted at a meeting, except with the permission of the chair.

(5) Every meeting shall be presided over by the President and in his absence by the Vice-President and in the absence of both by any other member chosen by the members present.

(6) Any meeting of the Council may, with the consent of the majority of the members of the Council present, be adjourned from time to time, to a later hour on the same day or to any other date, but no business other than left over at the adjourned meeting shall be transacted at such meeting. A notice of adjournment affixed in the office of the Council or at the place of meeting, on the day on which the meeting is adjourned, shall be deemed sufficient notice of the next ensuing meeting.

(7) The quorum for a meeting of the Council shall be one-third of the total number of members of the Council.

(8) If any time in a meeting there is no quorum, the presiding authority shall adjourn it to such time or date as it thinks fit and the business set down for the meeting shall be transacted at the subsequent meeting, whether at such meeting there is a quorum or not.

(9) No business other than the business fixed for the meeting shall be transacted at such subsequent meeting.

(10) A notice of adjournment shall be affixed in the office of the Council or at the place of meeting on the day on which the meeting is adjourned.

11. Decision of questions by majority of votes.— Save as otherwise provided in this Act, all questions brought before any meeting of the Council, shall be decided by a majority of votes of the members present and in case votes being equal the presiding authority at the meeting shall have a second or casting vote.

12. Minutes of proceedings.—(1) The minutes of proceedings of each meeting of the Council shall be recorded in a book to be kept for the purpose and the names of the members of the Council present thereat shall be entered in the minute book and shall be signed in confirmation by the presiding authority in the same or next meeting.

(2) A copy of the minutes of proceedings of each meeting of the Council shall be forwarded to the State Government within ten days from the date of confirmation.

13. Vacancies etc. not to invalidate proceedings.— No act or proceedings of the Council shall be invalid merely by reason of—

- (a) any vacancy therein, or any defect in the constitution thereof; or
- (b) any defect in the election or nomination of a person as a member thereof; or
- (c) any irregularity in its procedure not affecting merits of the case.

14. Proceedings of meeting to be valid.—Until the contrary is proved, every meeting of the Council shall be deemed to have been duly convened when the minutes of the meeting have been signed in accordance with the provisions of this Act.

15. Allowances of the non-official members.—The non-official members shall receive such traveling and other allowances, as may be prescribed by regulations.

16. Power of Council to invite any person having knowledge or experience in Para-veterinary medicine.—(1) The Council may, if it thinks necessary, invite any person having special knowledge or experience in Para-veterinary medicine to its meeting, to hear his views on the subject and such person shall have right to take part in the discussion on the subject but shall not have the right to vote in the meeting of the Council.

(2) The invitee shall be entitled to receive such allowances as are admissible to the non-official member.

17. Appointment of committee.—(1) The Council may appoint, from time to time and for such period, a committee consisting of such number of its members as it may think fit, and may refer to such committee for enquiry and report or for opinion any matter under this Act.

(2) The committee appointed under sub-section (1), shall, at its first meeting elect one of its members to be its Chairman.

(3) The mode of appointment of such committee, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such committee shall be such as may be prescribed by regulations.

18. Powers and functions of the Council.—(1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the Council shall exercise such powers and perform such functions as may be necessary for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the powers and functions of the Council shall be—

- (a) to maintain the State Register of Para-veterinary practitioners;
- (b) to hear and decide appeals from the decision of the registrar in such manner, as may be prescribed by regulations;
- (c) to prescribe by regulations a code of ethics for regulating the professional conduct of registered Para-veterinary practitioners;
- (d) to reprimand a registered Para-veterinary practitioner, or to suspend or remove the name from the State Registrar, or to take such other disciplinary action against him, as may, in the opinion of the Council, be necessary or expedient;
- (e) to permit any member to be absent from three consecutive meetings of the Council;
- (f) to promote innovations, research and development in establishment of new Para-veterinary subjects;
- (g) to formulate schemes for promoting Para-veterinary education;
- (h) to promote an effective link between Para-veterinary Education, Veterinary Education and Veterinary System of Medicine and to promote research and development in these subjects;
- (i) to lay down norms and standards for courses, curricula, physical and instructional facilities, staff pattern, staff qualifications, quality instructions, assessment, examination and continuing veterinary education;
- (j) to fix norms and guidelines for charging tuition and other fees;
- (k) to advise the State Government in respect of grant of charter to any Para-veterinary body or institution in the field of veterinary education;
- (l) to provide guidelines for admission of student of Para-veterinary institution and Universities imparting Para-veterinary education;
- (m) to inspect or cause to be inspected any Para-veterinary institution;
- (n) to constitute or authorize a Board for conducting the examination and to maintain uniformity of standard;
- (o) to register Para-veterinary establishments;
- (p) to prescribe minimum standards for the establishment of Para-veterinary establishments;
- (q) to perform such other functions, as may be prescribed; and
- (r) to conduct the election of members under item (ii) of sub-section (1) of section 4.

19. Permission for establishment of new Para-veterinary institution.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act,—

- (a) no person shall establish a Para-veterinary institution; and

(b) no Para-veterinary institution shall-

- (i) open a new or higher course of study or training which would enable a student of such course or training to qualify himself for the award of any recognized Para-veterinary qualification; or
- (ii) increase its admission capacity in any course of study or training, except with the previous permission of the State Government obtained in accordance with the provisions of this section.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression “person” includes any University or a Trust but does not include the State Government.

(2) Every person or Para-veterinary institution shall, for the purpose of obtaining permission under sub-section (1), submit to the Council a scheme in accordance with the provisions of sub-section (3).

(3) The scheme referred to in sub-section (2) shall be in such form, containing such particulars, preferred in such manner and accompanied with such fee, as may be prescribed.

(4) On receipt of a scheme by the Council under sub-section (2), the Council may obtain such other particulars as may be considered necessary by it from the person or the Para-veterinary institution concerned and thereafter, it may—

- (a) if the scheme is defective and does not contain any necessary particulars, give a reasonable opportunity to the person or institution concerned for making a written representation and it shall be open to such person or Para-veterinary institution to rectify the defects, if any, specified by the Council; and
- (b) consider the scheme, having regard to the factors referred to in sub-section (8), and submit the scheme together with its recommendation thereon to the State Government.

(5) The State Government may, after considering the scheme and the recommendations of the Council under sub-section (4) and after obtaining, where necessary, such other particulars as may be considered necessary by it from the person or institution concerned, and having regard to the factor referred to in sub-section (1), either approve with such conditions, if any, as it may consider necessary or disapprove the scheme and any such approval shall be a permission under sub-section(1):

Provided that no scheme shall be disapproved by the State Government, except after giving the person or institution concerned a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that nothing in this sub-section shall prevent any person or Para-veterinary institution whose scheme has not been approved by the State Government to submit a fresh scheme and the provisions of this section shall apply to such scheme as if such scheme has been submitted for the first time under sub-section (2).

(6) Where, within a period of one year from the date of submission of the scheme to the Council under sub-section (2), no order passed by the State Government has been communicated to the person or institution submitting the scheme, such scheme shall be deemed to have been approved by the State Government in the form in which it had been submitted to the Council and

accordingly, the permission of the State Government required under sub-section (1) shall also be deemed to have been granted.

(7) In computing the time limit specified in sub-section (6), the time taken by the person or institution concerned submitting the scheme in furnishing any particular called for by the Council, or State Government, shall be excluded.

(8) The Council, while making its recommendations under clause (b) of sub-section (4) and the State Government while passing an order, either approving or disapproving the scheme under sub-section (5), shall have due regard to the following factors, namely :—

- (a) whether the proposed Para-veterinary institution or the existing Para-veterinary institution seeking to open a new or higher course of study or training, shall be in a position to offer the minimum standards of Para-veterinary education as prescribed by the Council under section 26 of this Act;
- (b) whether the person seeking to establish a Para-veterinary institution or the existing Para-veterinary institution seeking to open a new or higher course of study or training or to increase its admission capacity has adequate financial resources;
- (c) whether necessary facilities in respect of staff, equipment, training and other facilities to ensure proper functioning of the Para-veterinary institution or conducting the new course of study or training or accommodating the increased admission capacity have been provided or would be provided within the time limit specified in the scheme;
- (d) whether adequate veterinary hospital facilities, having regard to the number of students likely to attend such Para-veterinary institution or course of study or training or as a result of the increased admission capacity, have been provided or shall be provided within the time-limit specified in the scheme;
- (e) whether any arrangement has been made or programme drawn to impart proper training to students likely to attend such Para-veterinary institution or course of study or training by persons having the recognized Para-veterinary qualifications;
- (f) the requirement of manpower in the field of practice of Veterinary medicine; and
- (g) any other factors as may be prescribed.

(9) Where the State Government passes an order either approving or disapproving a scheme under this section a copy of the order shall be communicated to the persons or Para-veterinary institution concerned.

20. Non-recognition of Para-veterinary qualification in certain cases.—Where any Para-veterinary institution is established or any institution opens a new or higher course of study in Para-veterinary or increases its admission capacity without the previous permission of the State Government in contravention of the provision of this Act, Para-veterinary qualification so given to any student by such Para-veterinary institution, shall not be recognized Para-veterinary qualification for the purpose of this Act.

21. Time for seeking permission for certain existing Para-veterinary institutions.—If any person has established a Para-veterinary institution or any Para-veterinary institution has opened a new or higher course of study or training or increases the admission capacity, such person or Para-veterinary institution, as the case may be, shall seek within a period of one year from the commencement of this Act, the permission of State Government under the provisions of this Act.

22. Recognition of Para-veterinary qualifications granted by certain Para-veterinary institutions whose qualifications are not included to the Schedule.—Any Para-veterinary institution in India, which desires a para-veterinary qualification granted by it, to be included in the Schedule, may apply to the State Government with such application fee as may be fixed by regulations to have such qualification recognized and the State Government, after consulting the Council, may by notification in the Official Gazette, amend the Schedule as to include such qualification therein, and any such notification may also direct that an entry shall be made in the last column of Schedule against such Para-veterinary qualification declaring that it shall be a recognized Para-veterinary qualification only when granted after specified date.

23. Power to require information as to courses of study and examinations.—Every University or Para-veterinary institution in India which grants a recognized Para-veterinary qualification, shall furnish such information as the Council may, from time to time, require as to the courses of study and examinations to be undergone in order to obtain such qualification as to the age at which such courses of study and examinations are required to be undergone and such qualifications conferred and generally as to the requisite for obtaining such qualification.

24. Inspection of Para-veterinary institution.— The Council shall cause all Para-veterinary institution to be inspected as and when deemed necessary.

25. Withdrawal of recognition.—(1) If it appears to the Council—

- (a) that the courses of study and examination to be undergone in or the proficiency required from candidates at any examination held by any University or Para-veterinary institution do not conform to the standards prescribed by regulations by the Council; or
- (b) that the staff, equipments, accommodation, training and other facilities for instruction and training provided in such University or Para-veterinary institution or in any college or other institution affiliated to that University do not conform to the standards prescribed by regulations by the Council, the council shall take action for the withdrawal of recognition.

(2) Before withdrawal of recognition, the Council shall send a show cause notice to the Para-veterinary institution or University specifying the period within which the reply shall be submitted.

(3) On receipt of the reply or where no reply is submitted within the period specified in the show cause notice then on expiry of that period the Council shall take decision in the matter.

26. Minimum standards of Para-veterinary education.—The Council may prescribe by regulations the minimum standards of Para-veterinary education required for granting recognized Para-veterinary qualifications (other than postgraduate Para-veterinary qualification) by the Para-veterinary institution in India.

27. Registration of Para-veterinary establishments.—No person shall open, keep or carry on a Para-veterinary establishment without being registered as such under this Act and except in accordance with the terms of registration granted under this Act:

Provided that nothing in this section shall apply to a Para-veterinary establishment which is in existence on the date of commencement of this Act, for a period of six months from such date or where an application is made within that period in accordance with provisions of section 28 of this Act, till such time, the application is disposed of.

28. Application for registration.—(1) Every person intending to carry on a Para-veterinary establishment shall make an application to the Council for registration of the clinical establishment within a period of three months from the date of commencement of this Act.

(2) Every application for registration of Para-veterinary establishment under sub-section (1) or for renewal of the registration under sub-section (6) shall contain such particulars and shall be accompanied by such fees, as may be prescribed by regulations.

(3) The Council, if satisfied that the applicant and the Para-veterinary establishment fulfils such terms and conditions as may be prescribed, shall register the applicant and such Para-veterinary establishment and shall grant him in relation to the Para-veterinary establishment a certificate of registration in such form as may be prescribed within a specified period.

(4) The Council may reject an application if it is satisfied that the applicant or the Para-veterinary establishment does not fulfil the conditions prescribed under sub-section (3) and in every case where the application is rejected, reasons therefore shall be recorded in writing.

(5) A certificate of registration issued under this section, subject to the provisions of section 29, of this Act, shall be in force and shall be valid for a period of five years from the date on which it is granted under sub-section (3) unless cancelled earlier as per provisions of this Act.

(6) An application for renewal of a registration shall be made within a period of six months before the expiry of validity of registration certificate issued under sub-section (3).

29. Cancellation of registration.—At any time after a Para-veterinary establishment is registered under section 28 of this Act, the Council, may cancel such registration if it is satisfied—

- (i) that the terms and conditions of the registration are not being complied with; or
- (ii) that the person in whose name the Para-veterinary establishment is registered has been convicted of an offence punishable under this Act; or
- (iii) that any other person including a juristic person who has been convicted of an offence under this Act is associated with another juristic person or other Para-veterinary establishment.

30. Minimum standards of Para-Veterinary establishment.—(1) Every Para-veterinary establishment shall have such minimum standards of buildings, space, facility, equipment and manpower as are prescribed by the Council by regulations.

(2) Every Para-veterinary establishment shall maintain and keep records of all animals attended or admitted or treated in the manner prescribed and such records or extracts thereof shall be made available to the Council or the authorized technical officer of the State Government not below the rank of the Deputy Director of the concerned district on demand.

(3) On demand an authenticated copy of the record of admission, consultation, tests, diagnosis and treatment shall be made available by the veterinary establishment to the owner of the animal or any other person specifically authorized by the owner to this effect.

31. Inspection of Para-veterinary establishment.—(1) The Council or any authorized technical officer of the State Government, not below the rank of a Deputy Director of concerned district, subject to general or special order as may be made by the State Government, enter and inspect any premises which are used or for which the Council, or the officer of the State Government so authorized has reasonable cause to believe that these are being used for the purpose of Para-veterinary establishment.

(2) If the Council or the officer authorized under sub-section (1) has any reason to believe that any article or class of articles or any records are liable to be seized for the contravention of the provisions of this Act, he may seize any article or record which in his opinion is useful or relevant for initiating any proceeding under this Act and give receipt for articles or records so seized.

(3) The provision of the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974) relating to searches and seizures shall, as far as may be appropriate, apply to such every search or seizure made under this Act.

32. Registrar and other officers and servants of the Council.—(1) The Council shall, with the prior approval of the State Government, appoint a Registrar who shall act as Secretary of the Council.

(2) The Council may, with the prior approval of the State Government, employ such other officers and servants as it may deem necessary for carrying out the provisions of this Act.

(3) The qualifications, conditions of service and pay scales of the Registrar and other officers and servants shall be such as the Council may determine by regulations, with the prior approval of the State Government.

(4) The Registrar or any other officer or servant appointed by the Council under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

33. Duties of Registrar.—(1) It shall be the duty of the Registrar to keep and maintain the State Register in accordance with the provisions of this Act and any order made by the Council to revise it from time to time in such manner as may be prescribed by regulations, to publish it in the Official Gazette and to discharge such other functions as are or may be required to be discharged by him under this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) It shall be the duty of the Registrar to ensure that the State Register is as far as possible correct at all time and may from time to time enter therein any material alteration in the address or qualifications of the registered Para-veterinary practitioner.

(3) The Registrar may remove from the State Register the name of the registered Para-veterinary practitioner who dies or whose name is directed by the Council to be removed from the State Register or who ceases to be the registered Para-veterinary practitioner.

(4) On an application made by the registered Para-veterinary practitioner, if the Council is satisfied that the such practitioner has not ceased to practise, then the Council may direct the Registrar to restore the name of such practitioner in the State Register and the Registrar shall comply with such directions.

34. Funds of the Council.—The Council shall establish a fund to be called the fund of the Council to which shall be credited—

- (a) registration fees from all the Para-veterinarians registered in the Council;
- (b) any contribution or grant by Central or State Government;
- (c) the income of the Council from all sources including income from fees and fines;
- (d) the trust, donations, endowment and other grants, if any; and
- (e) all other sums received by the Council.

35. Objects to which fund of Council shall be applied.—The fund of the Council shall be applied—

- (a) to the repayments of debts incurred by the Council for the purpose of this Act and the rules and regulations made thereunder;
- (b) to the expenses of any suit or legal proceedings to which the Council is a party;
- (c) to the payment of salary and allowances to the officers and servants of the Council;
- (d) to the payment of allowances to the office bearers of the Council;
- (e) to the payment of any expenses incurred by the Council in carrying out the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder; and
- (f) to any other expenses incurred for the promotion and development of Para-veterinary education, research and training, declared by the Council to be in the general interest of Para-veterinary profession.

36. Accounts and Audit.—(1) The accounts of the Council shall be prepared before such date and at such intervals and in such manner, as may be prescribed by regulations.

(2) The accounts of the Council shall be audited by the registered chartered accountant and the audit fee of the chartered accountant shall be such, as may be fixed by the Council, by regulations.

(3) As soon as the accounts of the Council are audited, the Council shall send a copy thereof, to the State Government, in such manner, as may be prescribed by regulations.

37. Budget.—(1) The Registrar shall cause to be prepared in such form as may be prescribed, by regulations, a budget for the financial year, showing the estimated receipts and expenditure and shall cause it to be laid before the Council at such time, in such manner, as may be prescribed by regulations.

(2) Within fifteen days from the date of meeting in which the budget is passed, it shall be forwarded to the State Government.

(3) If the State government is of the opinion that provisions of the budget so forwarded to it are not adequate for carrying out the purposes of this Act, it shall return the budget to the Council for such modification as may be suggested by the State Government.

(4) The Council shall be competent to reappropriate such amount as may be necessary from one head to another head and minor heads.

(5) The Council, may as and when required, pass a supplementary budget in such form as may be prescribed by regulations and the provisions of sub-sections (2), (3) and (4) shall apply to such supplementary budget.

38. Registration renewal and State Register.—(1) No person shall be registered on the State Register as Para-veterinary practitioner unless he possesses a recognized qualification and has not paid such fee, as may be prescribed and different fee may be prescribed for different qualifications but it shall not exceed one thousand rupees and the registration shall be valid for a period of three years.

(2) The Council shall cause to be maintained a State Register of Para-veterinary practitioners in such form, as may be prescribed, by regulations.

(3) The Register shall be deemed to be public document within the meaning of Indian Evidence Act, 1872.

(4) Every registered Para-veterinary practitioner registered under sub-section (1) shall renew his registration after every three years on payment of such fee as may be prescribed.

39. Prohibition of collection of capitation fee, donation etc.—No person or Para-veterinary institution who is in charge of, or is responsible for the management of any Para-veterinary institution, shall—

- (a) accept, either directly or indirectly any donation, gift or other payment (by whatever name called), whether in cash or in kind, or any amount by way of capitation fee; or
- (b) receive any fee or amount in excess of scale of fees presented by the council.

40. Power of council to prohibit entry to or to order removal from state Register.—The Council may, upon reference from the Registrar or otherwise, by order, prohibit the entry in, or order, the removal from the State Register, the name of any person,—

- (a) who has been sentenced by a criminal court to imprisonment for an offence which involves moral turpitude; or
- (b) whom the Council, after enquiry has found guilty of professional misconduct by passing a resolution of majority of two third of the members of the Council present and voting at the meeting :

Provided that no order shall be passed under this section without giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned.

41. Alteration of State Register.—(1) The Council may, after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard, order that any entry in the State Register which in the opinion of the Council, has been fraudulently or incorrectly made or brought, be cancelled or amended.

(2) The Council may direct the removal for ever, or for a specified period from the State Register, the name of any registered Para-veterinary practitioner for the same reason for which registration may be prohibited by the Council under section 40 of this Act.

(3) The Council may direct that the name removed under sub-section (2) shall be restored subject to such condition, if any, which the Council may deem fit to impose.

42. Procedure in inquires.—For the purpose of any inquiry under the provisions of this Act, the Council or any committee appointed under sub-section (1) of section 17 shall be deemed to be a court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872(1 of 1872) and the Code of Civil Procedure 1908(5 of 1908) and shall exercise all powers of Commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850(37 of 1850) and such inquiries shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of section 5 and sections 8 to 20 of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850(37 of 1850).

43. Appeal against the order of the Council.—Any person—

- (a) whose application for registration in the State Register is rejected under section 38 or 41 of this Act; or

- (b) whose entry in the State register is prohibited under section 40 of this Act; or
- (c) whose name, from the State Register is removed, may, within ninety days of the order of rejection, prohibition or removal, as the case may be, appeal to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.

44. Prohibition on practice except as provided in this Act.—(1) Save as otherwise provided in this Act, no person shall practise or hold himself out, whether directly or indirectly, as practicing habitually for personal gain as a Para-veterinary practitioner within the State.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

45. Prohibition of awarding degree in certain cases.—(1) Where the Council on its own motion or on any representation received or otherwise is satisfied that any person or Para-veterinary institution has contravened all or any of the provisions of this Act or the rules or regulations made or orders issued there under, it may, with the previous approval of the State Government, and subject to such conditions as it may think fit to impose—

- (a) in the case of the first contravention, prohibit the Para-veterinary institution concerned from presenting such students in relation to which the contravention has been made to any University or Veterinary institution for taking any examination which would enable such students to qualify themselves for the award of any recognised veterinary qualification; and
- (b) in the case of any second or subsequent contravention take such action under this Act as it may consider necessary including action to prohibit the Para-veterinary institution concerned from making any further admission of students :

Provided that no such order shall be passed by the Council unless the Para-veterinary institution and the students concerned have been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) A copy of any order passed by the Council under sub-section (1), shall be communicated to the Para-veterinary institution and the student concerned and a copy thereof shall simultaneously be forwarded to the University or Para-veterinary institution concerned.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an order passed by the Council under sub-section (1) and communicated to the University or Para-veterinary institution under sub-section (2) shall be final and binding on the said University or Para-veterinary institution.

(4) Any Para-veterinary qualification granted to any student of such Para-veterinary institution on the basis of any examination or other test held after the date of communication of the order to the University or Para-veterinary institution under sub-section (2) shall cease to be a recognised Para-veterinary qualification in relation to such students for the purposes of this Act.

(5) Where an order has been passed by the Council under sub-section (1) in relation to any Para-veterinary institution, the State Government may on its own motion or on any representation received by it, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the interest of the students of such Para-veterinary institution, take such steps as may be considered necessary to safeguard the interest of students studying in such Para-veterinary institutions.

46. Offences and penalties.—(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, any Para-veterinary institution established or courses started

or increases the admission capacity without prior permission of the State Government as required under section 19 of this Act, shall not be regularized by any authority whatsoever including the State Government.

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall not be eligible for any permission under section 19 of this Act and this disqualification shall remain in force for a period of five years from the date on which the contravention of section 19 of this Act is established.

(3) In case any approved or recognised Para-veterinary institution starts a course and admits students without the prior permission of the State Government the approved admission capacity of such institution in all its approved courses shall be reduced by 25 % and such institution shall not be allowed to admit any student against the management or Non Resident Indian quota in the next academic year.

47. Penalty for contravention of sections 19, 20, 21, 27 or 39.—(1) Whoever contravenes the provisions of sections 19, 20, 21, 27 or 39 of this Act shall, without prejudice to the provisions of section 45 of this Act, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and with fine which may extend to five lacs rupees but shall not be less than fifty thousand rupees.

(2) Where conviction is made under sub-section (1), the court may, in addition to awarding any punishment under that sub-section, by order in writing, require the Para-veterinary institution or any other person convicted to refund the money so collected in excess to the person from whom it was collected within such period as may be specified in the order.

48. Offences by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, as the case may be, shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation- For the purpose of this section—

- (a) “Company” means any body corporate and includes a firm, institution, a society, a trust or other association of individual; and
- (b) “Director” in relation to a firm means a person in the firm.

49. Punishment for dishonest use of certificate.—Any person who—

- (a) dishonestly makes use of any certificate of registration granted under this Act; or
- (b) procures or attempts to procure registration under the provisions of this Act by making or producing or causing to be made or produced any false or fraudulent declaration, certificate or representation whether in writing or otherwise; or

- (c) wilfully makes or cause to be made any false representation in any matter relating to the certificate of registration issued under the provisions of this Act, shall on conviction, be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees or with both.

50. Information to be furnished by the Council.—The Council shall furnish such reports, copies of its minutes, abstracts of its accounts and other information to the State Government as it may require.

51. Cognizance of offence.—(1) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint, in writing, made by the Registrar or any other officer authorized by the Council in this behalf, by a general or special order.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act.

52. Control by State Government.—If at any time it appears to the State Government that Council has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred, or has failed to perform any of the duties imposed, upon it by or under this Act, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council, requiring it to remedy such failure, excess or abuse within such period as may be specified in the notice and if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within specified period, the State Government may dissolve the Council and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by any other officer authorized by the State Government in this behalf, by order for such period not exceeding six months and shall take steps to bring in to existence a new Council.

53. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly make any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rules shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

54. Power to make regulations.—(1) The Council may, with the previous approval of the State Government and subject to rules made under section 53 of this Act, may by notification published in the Official Gazette, make regulations to carry out purposes of this Act, and without prejudice to the generality of forgoing powers, such regulations may, provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the management of the property of the Council and the maintenance and audit of its account;
- (b) the manner of election of members of the Council;
- (c) the powers and duties of the President and Vice-President;

- (d) the mode of appointment of committees, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such committees;
- (e) the travelling and other allowances payable to the non-official members of the Council;
- (f) the manner to hear and decide appeals from the decision of the Registrar under clause (b) of sub-section (2) of section 18 of this Act;
- (g) the code of ethics for regulating the professional conduct under clause (c) of sub-section (2) of section 18 of this Act;
- (h) the qualifications, the conditions of service and pay scales of the Registrar and other officers and servants under sub-section (3) of section 32 of this Act;
- (i) the manner of revision of State Register under sub-section (1) of section 33 of this Act; and
- (j) the form of State Register under sub-section (2) of section 38 of this Act.

(2) The State Government, on receipt of regulations for approval, may approve the same without any modifications or with modifications as it may think fit or return the regulations to the Council for reconsideration.

Schedule

PARAVETERINARY QUALIFICATIONS

(See Section 2 (g))

1. Livestock and Poultry Management:— Knowledge of livestock and poultry breeds, body point of different animals, handling and casting technique, management of livestock and administration of medicine.

2. Structure and functions of the body (preliminary Knowledge):— identification of various organs of different systems of domestic animals, study of body skeleton and physiological functions of different systems.

3. Feed and Fodder:— knowledge of fodder trees and plants, hay and silage making and cultivation of fodder crops.

4. Veterinary Pharmacy :— Knowledge of pharmacology, toxicology, metiria medica and Pharmacy.

5. General Veterinary Medicine:— Signs of diseases, examination and detection of abnormality, prevention or control of diseases, preliminary knowledge of different diseases, snake bite, burn injury, heat stroke and allergy, knowledge of common infectious and parasitic diseases, their first aid and control, Collection and dispatch of materials for laboratory diagnosis.

6. Identification of common drugs and their use.

7. Labeling and storage of common and poisonous drugs.

8. Compounding and dispensing of common ointments, lotions, Tinctures, liniments, syrups and spirits.

9. Introduction of organs of reproduction and their functions.
10. Technique of collection, handling, transport and preservation of frozen semen.
11. Management of breeding bulls.
12. Knowledge of artificial insemination technique.
13. Semen collection and knowledge of semen quality.
14. Maintenance of liquid Nitrogen and containers.
15. Terminology used in surgery and preparation of animals for operation.
16. Sterilization of instruments, glass ware and dressing materials.
17. Identification and use of important surgical instruments.
18. Maintenance of office record.
19. To carry out extension activities like survey data collection and organization of fairs, camps and rallies.
20. Management practices being carried out in cattle, sheep Poultry Rabbit and horse breeding farms.
21. Practical knowledge of activities being carried out in sperm station, diseases investigation laboratory and wool analysis laboratory.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-47 / 2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-1-2011 को अनुमोदित मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 30) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथाअनुमोदित)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

2. **धारा 5 का संशोधन.**—मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा 1 में,—

(क) खण्ड (i) में "दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(v) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;";

(ग) खण्ड (xix) में, "विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और" शब्दों के स्थान पर "माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।; और

(घ) खण्ड (xxvii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात्, तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ;"।

3. **धारा 9 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में "वसीयतें," शब्द तथा चिन्ह के पश्चात् और "दान" शब्द से पूर्व "माता-पिता और छात्रों के सिवाय" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

4. **धारा 26 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा।

5. **धारा 31 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्पूर्वी वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यक्षीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा।”।

6. धारा 32 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द “एक मास” जहां—जहां ये आते हैं, के स्थान पर “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे।

7. धारा 40 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में “कुलपति से परामर्श के पश्चात्” शब्दों का लोप किया जाएगा।

8. धारा 41 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “पन्द्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

—————
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 18 of 2011

**THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2010**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST JANUARY, 2011)

AN

ACT

to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009)

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. Amendment of Section 5.—In section 5 of the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009) (hereinafter referred to as the “principal Act”, in sub-section (1),—

(a) in clause(i), the words “including the method of distant education” shall be omitted.;

(b) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

“(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;”;

(c) in clause (xix) after the words “and grants”, the words “except from parents and students” shall be inserted.; and

(d) for clause(xxvii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;”.

3. Amendment of Section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign “donation,”, the words and sign “except from parents and students,” shall be inserted.

4. Amendment of Section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause(g) shall be omitted.

5. Amendment of Section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section(4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.”.

6. Amendment of Section 32.—In section 32 of the principal Act, for the words “one month” wherever these occur, the words “three months” shall be substituted.

7. Amendment of Section 40.— In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs “after consultation with the Vice-Chancellor,” shall be omitted.

8. Amendment of Section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words “fifteen years”, the words “twenty five years” shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-45 / 2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-1-2011 को अनुमोदित चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 33) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथाअनुमोदित)

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

2. **धारा 2 का संशोधन.**—चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(त) “प्रायोजक निकाय” से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत चिटकारा शैक्षणिक न्यास चण्डीगढ़ अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली इसकी समनुषंगी शाखा है;” ।

3. **धारा 5 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) खण्ड (vii) का लोप किया जाएगा । ;

(ख) खण्ड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(xi-क) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;”;

(ग) खण्ड (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(xviii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना;” और

(घ) खण्ड (xix) में “विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना और” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

4. **धारा 9 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में “वसीयतें,” शब्द और चिन्ह के पश्चात् और “दान” शब्द से पूर्व “माता-पिता और छात्रों के सिवाय” शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

5. **धारा 26 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा ।

6. **धारा 31 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा। यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा।”।

7. **धारा 32 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द “एक मास” जहां—जहां ये आते हों, के स्थान पर “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे।

8. **धारा 40 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में “कुलपति से परामर्श के पश्चात्” शब्दों का लोप किया जाएगा।

9. **धारा 41 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “पन्द्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 19 of 2011

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2010**

(ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST JANUARY, 2011)

AN

ACT

to amend the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 2 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:-

1. **Sahort title.**—This Act may be called the Chitkara University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. **Amendment of section 2.**—In section 2 of the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (2 of 2009) (hereinafter referred to as the “principal Act”), for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

“(p) “sponsoring body” means the Chitkara Educational Trust, Chandigarh, registered under the Indian Trust Act, 1882 and includes its subsidiary branch to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Chitkara University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010;”.

3. **Amendment of section 5.**—In section 5 of the principal Act,—

- (a) clause(vii), shall be omitted.;
- (b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:—
“(xi-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;”;
- (c) for clause(xviii), the following clause shall be substituted, namely:—
“(xviii)to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;” and
- (d) in clause (xix) after the words “and grants”, the words “except from parents and students” shall be inserted.

4. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign “donation,”, the words and sign “except from parents and students,” shall be inserted.

5. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause (g) shall be omitted.

6. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.”.

7. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, for the words “one month” wherever these occur, the words “three months” shall be substituted.

8. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs “after consultation with the Vice-Chancellor,” shall be omitted.

9. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words “fifteen years”, the words “twenty five years” shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-48 / 2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-1-2011 को अनुमोदित इण्डस

इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 34) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 20 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 20

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथाअनुमोदित)

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

2. **धारा 2 का संशोधन.**—इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(त) “प्रायोजक निकाय” से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कारथा ऐजूकेशन सोसाइटी, बम्बई, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली सोसाइटी की समनुषंगी शाखा है;” ।

3. **धारा 5 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में,—

(क) खण्ड (I) में “दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित,” शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा ;

(ख) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(v) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;”;

(ग) खण्ड (xix) में “विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना तथा” शब्दों के स्थान पर “माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(घ) खण्ड (xxvii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ;” ।

4. धारा 9 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में “वसीयतें,” शब्द और चिन्ह के पश्चात् तथा “दान” शब्द से पूर्व “माता-पिता और छात्रों के सिवाय” शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

5. धारा 26 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा ।

6. धारा 31 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(5) विश्वविद्यालय पश्चात्वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा।” ।

7. धारा 32 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द “एक मास” जहां-जहां ये आते हों, के स्थान पर “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ।

8. धारा 40 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में “कुलपति से परामर्श के पश्चात्” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 20 of 2010

**THE INDUS INTERNATIONAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2010**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST JANUARY, 2011)

AN

ACT

to amend the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (Act No. 1 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. **Shirt title.**—This Act may be called the Indus International University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010 (1 of 2010).

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Indus International University (Establishment and Regulation) Act, 2010 (hereinafter referred to as the “principal Act”), for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

“(p) “sponsoring body” means the Kartha Education Society, Mumbai, registered under the Societies Registration Act, 1860 and includes its subsidiary branch of Society to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Indus International University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010;”.

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (1)—

(a) in clause(i), the words “including the method of distant education” shall be omitted.;

(b) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

“(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;”;

(c) in clause (xix) after the words “and grants”, the words “except from parents and students” shall be inserted.;

(d) for clause(xxvii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;”.

4. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign “donations,”, the words and sign “except from parents and students,” shall be inserted.

5. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause(g) shall be omitted.

6. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.”.

7. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, for the words “one month” wherever these occur, the words “three months” shall be substituted.

8. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs “after consultation with the Vice-Chancellor,” shall be omitted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-50/2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-1-2011 को अनुमोदित बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 35) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 21 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 21

**बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन
अधिनियम, 2010**

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथाअनुमोदित)

बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

2. **धारा 2 का संशोधन.**—बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का 21) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(त) "प्रायोजक निकाय" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सैंटर फॉर एडवांसड स्टडीज़ इन इन्जीनियरिंग (सी0 ए0 एस0 ई0), नई दिल्ली अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ ईमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली सोसाइटी की समनुषंगी शाखा है;" ।

3. **धारा 5 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में,—

(क) खण्ड (I) में "दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित," शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।;

(ख) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(v) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;”;

(ग) खण्ड (xix) में “विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और “ शब्दों के स्थान पर “माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(घ) खण्ड (xxvii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ;” ।

4. धारा 9 को संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में “वसीयतें,” शब्द और चिन्ह के पश्चात् और “दान” शब्द से पूर्व “माता-पिता और छात्रों के सिवाय” शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे ।

5. धारा 26 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा ।

6. धारा 31 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(5) विश्वविद्यालय पश्चात्वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अधधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा । ” ।

7. धारा 32 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द “एक मास” जहां-जहां ये आते हों, के स्थान पर “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ।

8. धारा 40 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में “कुलपति से परामर्श के पश्चात्” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

9. धारा 41 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “पन्द्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 21 of 2010

**THE BADDI UNIVERSITY OF EMERGING SCIENCES AND TECHNOLOGY
(ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT ACT, 2010**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST JANUARY, 2011)

AN

ACT

to amend the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 21 of 2009) (hereinafter referred to as the “principal Act”), in section 2 for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—

“ (p) “sponsoring body” means the Centre for Advanced Studies in Engineering(CASE), New Delhi, registered under the Societies Registration Act, 1860 and includes its subsidiary branch of society to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Baddi University of Emerging Sciences and Technology (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010;”.

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (1) ,—

- (a) in clause(i), the words “including the method of distant education” shall be omitted.;
- (b) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

“(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;”;

- (c) in clause (xix) after the words “and grants”, the words “except from parents and students” shall be inserted.; and

- (d) for clause(xxvii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government,”

4. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign “donation,”, the words and sign “except from parents and students”, shall be inserted.

5. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause (g) shall be omitted.

6. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.”.

7. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, for the words “one month” wherever these occur, the words “three months” shall be substituted.

8. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs “after consultation with the Vice-Chancellor,” shall be omitted.

9. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words “fifteen years”, the words “twenty five years” shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0-डी (6)-46/2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-01-2011 को अनुमोदित ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 29) को वर्ष 2011 के अधिनियम 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती है।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 17

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथाअनुमोदित)

ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है।

2. धारा 5 का संशोधन.—ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 5 में,—

- (क) अंक और चिन्ह "5." के पश्चात् "(1)" कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
- (ख) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के खण्ड (i) में दूरवर्ती शिक्षा के ढंग सहित, शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा;
- (ग) खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(v) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;”;

(घ) खण्ड (xix) में, “विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान और अनुदान प्राप्त करना और” शब्दों के स्थान पर “माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ङ) खण्ड (xxvii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(xxvii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना ;” ।

3. धारा 9 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में “वसीयतें,” शब्द और चिन्ह के पश्चात् तथा “दान” शब्द से पूर्व “माता-पिता और छात्रों के सिवाय” शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

4. धारा 26 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा ।

5. धारा 31 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के अध्यक्षीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच के प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा।” ।

6. धारा 32 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द “एक मास” जहां-जहां ये आते हों, के स्थान पर “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ।

7. धारा 40 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में “कुलपति से परामर्श के पश्चात्” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

8. धारा 41 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “पन्द्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

Act No. 17 of 2011

**THE ETERNAL UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)
AMENDMENT ACT, 2010**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST JANUARY, 2011)

AN

ACT

to amend the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Eternal University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Eternal University (Establishment and Regulation) Act, 2008 (Act No. 3 of 2009) (hereinafter referred to as the “principal Act.”),—

- (a) after the figure and sign “5.”, the brackets and figure “(1)” shall be inserted.;
- (b) in sub-section (1) as so renumbered, in clause (i), the words “including the method of distant education” shall be omitted.;
- (c) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—
 - “(v) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;”;
- (d) in clause (xix) after the words “and grants”, the words “except from parents and students” shall be inserted.;
- (e) for clause (xxvii), the following clause shall be substituted, namely:—
 - “(xxvii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;”.

3. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign “donation,”, the words and sign “except from parents and students,” shall be inserted.

4. Amendment of section 26.—In section 26 of the principal Act, in sub-section(1), clause (g) shall be omitted.

5. Amendment of section 31.—In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.”.

6. Amendment of section 32.—In section 32 of the principal Act, for the words “one month” wherever these occur, the words “three months” shall be substituted.

7. Amendment of section 40.—In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs “after consultation with the Vice-Chancellor,” shall be omitted.

8. Amendment of section 41.—In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words “fifteen years”, the words “twenty five years” shall be substituted.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 3 फरवरी, 2011

संख्या एल0एल0आर0डी (6)-55 / 2010-लेज.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-01-2011 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान (संशोधन) विधेयक, 2010 (2010 का विधेयक संख्यांक 41) को वर्ष 2011 के अधिनियम संख्यांक 22 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करती है।

आदेश द्वारा,
अवतार चन्द डोगरा,
सचिव (विधि)।

2011 का अधिनियम संख्यांक 22

हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान (संशोधन) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

2. बृहत् नाम का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश शरीर-रचना विज्ञान अधिनियम, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) के बृहत् नाम में “मृतकों के लावारिस शवों” शब्दों से पूर्व “शरीर या उसके किसी अंग तथा” शब्द और “प्रदाय” शब्द से पूर्व “दान तथा” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 2 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (6) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.—

“(7) “शरीर का दान” से शरीर-रचना परीक्षण और अनुसन्धान के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति द्वारा अपने सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग का दान अभिप्रेत है।”।

4. नई धारा 5क. का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“5क. शरीर—रचना परीक्षण आदि के लिए मृतक व्यक्तियों के शरीर या उसके किसी अंग का दान—(1) यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व, किसी भी समय लिखित रूप में दो या दो से अधिक साक्षियों की उपस्थिति में यह आशय व्यक्त किया है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को, शरीर—रचना परीक्षण और विच्छेदन करने या अन्य समरूप प्रयोजन के लिए किसी अनुमोदित संस्थान को उपयोग के लिए दे दिया जाए, तो उसका कोई निकट नातेदार, जब तक कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि उक्त आशय तत्पश्चात् प्रतिसंहृत कर दिया गया था, मृतक शरीर या उसके किसी अंग को आशय अनुसार उपयोग करने के लिए किसी अनुमोदित संस्थान को हटाने (ले जाने)/निकालने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) मृतक व्यक्ति का विधिक वारिस भी शरीर या उसके किसी अंग को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए दान कर सकेगा।

(3) उपधाराओं (3) और (4) के उपबन्धों के अधीन, इस धारा के अनुसरण में दिए गए प्राधिकार के अनुसार, सम्पूर्ण शरीर या उसके किसी अंग को निकालना और उसका उपयोग करना विधि पूर्ण होगा, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शरीर या उसके किसी अंग को निकाले जाने और इसके उपयोग के लिए समुचित आधार होगा।

(4) किसी भी मृतक व्यक्ति के शरीर या उसके किसी भी अंग को, किसी स्थान से जहां पर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई हो,—

- (i) ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय से अड़तालीस घण्टे के भीतर ; या
- (ii) जब तक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को, शरीर को हटाने (ले जाने) के आशय का चौबीस घण्टे का नोटिस (जिसकी गणना ऐसी मृत्यु के समय से की जाएगी) न दे दिया गया हो; या
- (iii) जब तक कि, शरीर को हटाने (ले जाने) से पूर्व उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसने ऐसे व्यक्ति की उस बीमारी के दौरान, परिचर्या की हो, जिससे उसकी मृत्यु हुई हो, द्वारा सम्यकरूप से हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र, जिसमें ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, का विवरण हो, या, यदि ऐसे किसी व्यवसायी ने ऐसी बीमारी के दौरान ऐसे व्यक्ति की परिचर्या न की हो, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यकरूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, जिसको ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके शरीर के निरीक्षण के लिए बुलाया जाएगा और जिसने मृत्यु कैसे हुई उसका और उसके कारण का अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से विवरण दिया हो, अभिप्राप्त न कर लिया हो और ऐसे प्रमाण पत्र को शव के साथ उपर्युक्त किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए उसे प्राप्त करने वाले परिदत्त अनुमोदित संस्थान के प्रभारी प्राधिकारी को, परिदत्त किया जाएगा ;

उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए हटाया (ले जाया)/निकाला नहीं जाएगा।

(5) यदि किसी निकट रिश्तेदार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे शव का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुसार मृत्यु समीक्षा या शव परीक्षण किया जाना अपेक्षित है तो ऐसी विधि के अधीन मृत्यु समीक्षा करने या शव रचना परीक्षण करने का आदेश देने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी की सहमति के सिवाय, इस धारा के अधीन शव को हटाने (ले जाने) या उसके किसी अंग को निकालने के लिए प्राधिकार नहीं दिया जाएगा।”।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 22 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH ANATOMY (AMENDMENT) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST JANUARY, 2011)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Anatomy Act, 1966 (Act No.4 of 1966).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Anatomy (Amendment) Act, 2010.

2. Amendment of long title.—In long title of the Himachal Pradesh Anatomy Act, 1966 (hereinafter referred to as the “principal Act”), after the words “provide for”, the words “donation of bodies or any part thereof and” shall be inserted.

3. Amendment of section 2.—In section 2 of the principal Act, after clause (6), the following clause shall be inserted, namely:—

“(7) “**donation of body**” means donation of whole body or any part thereof by any person for the purpose of anatomical examination and research .”.

4. Insertion of new section 5A.—After section 5 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

5A. Donation of body or any part thereof of deceased persons for anatomical examination etc.— (1) If any person at any time before his death had expressed an intention in writing in the presence of two or more witnesses, that his body or any part thereof be given to an approved institution for being used after his death for the purpose of conducting anatomical examination and dissection or other similar purpose, any near relative may, unless he has reason to believe that the said intention was subsequently revoked, authorize the removal of the dead body or such part thereof to any approved institution for use in accordance with the intention.

(2) The legal heir of a deceased person may also donate the body or any part thereof for the purposes specified in this Act.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (4) and (5), the removal and use of whole body or any part thereof in accordance with an authority given in pursuance of this section shall be lawful, and shall be sufficient warrant for the removal of the body or any part thereof and its use for the purposes of this Act.

(4) The body or any part thereof of any deceased person shall not be removed for any of the purposes specified in sub-section (1) from any place where such person may have died,—

(i) within forty-eight hours from the time of such person’s death; or

(ii) until after twenty-four hours notice, (to be reckoned from the time of such death) to the Executive Magistrate of the intended removal of the body; or

(iii) unless a certificate stating in what manner such person came by his death is obtained before the removal of the body, duly signed by the registered medical practitioner who attended such person during the illness whereof he died or, if no such practitioner attended such person during such illness, then, by a registered medical practitioner who shall be called in after the death of such person to view his body and who shall state the manner and cause of death according to the best of his knowledge and belief and such certificate shall be delivered together with the body to the authority in-charge of an approved institution receiving the same for any of the purposes aforesaid.

- (5) If near relative has reason to believe that an inquest or a postmortem examination of such body may be required to be held in accordance with the provisions of any law for the time being in force, the authority for the removal of the body or any part thereof shall not be given under this section except with the consent of the authority empowered to hold an inquest or order postmortem under such law.”.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम नं0 25/2010.

तारीख पेशी : 2-3-2011

1. मनिन्द्र सिंह, 2. नरिन्द्र सिंह दोनों पुत्र श्री मस्तान सिंह पुत्र श्री भूमि चन्द, निवासी महाल व मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, मार्फत मुख्तारे आम श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मस्तान सिंह, वासी डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री करम चन्द व अन्य . . प्रतिवादीगण।

सम्मन बनाम : 1. श्री ओंकार सिंह पुत्र व, 2. मान चन्द पुत्र श्री भूमि चन्द व, 3. रणजीत सिंह पुत्र व, ध्यान पुत्र व, 5. बशीरा देवी विधवा श्री प्रकाश चन्द सभी वासी महाल व मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 71, खतौनी नम्बर 117, ता0 121, खसरा कित्ता-43, रकबा तादादी 1-25-67 है0, वाक्या महाल व मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

इशतहार मुस्त्री मुनादी :

श्री मनिन्द्र सिंह आदि निवासी महाल व मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 71 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 2-3-2011 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा। ।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-1-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा तकसीम नं0 23/2010.

तारीख पेशी : 2-3-2011

1. मनिन्द्र सिंह, 2. नरिन्द्र सिंह दोनों पुत्र श्री मस्तान सिंह पुत्र श्री भूमि चन्द, निवासी महाल व मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, मार्फत मुख्तारे आम श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री मस्तान सिंह, वासी डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री करम चन्द व अन्य

. . प्रतिवादीगण।

सम्मन बनाम : 1. श्रीमती लीला देवी पुत्री चूड़ सिंह व, 2. यशपाल सिंह पुत्र व, 3. स्वर्ण सिंह पुत्र भूप सिंह सभी वासी महाल व मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . प्रतिवादीगण।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नं0 73, खतौनी नम्बर 125, ता0 132, खसरा कित्ता-54, रकबा तादादी 2-26-99 है0, वाक्या महाल व मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा।

इशतहार मुस्त्री मुनादी :

श्री मनिन्द्र सिंह आदि निवासी महाल व मौजा डगेरा, उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा ने अदालत में खाता नं0 73 की तकसीम दायर कर रखी है जिसमें उक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील बार-बार समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त न होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः अदालत को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 2-3-2011 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करे। बाद तारीख पेशी किसी किरम का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जावेगा।।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-1-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0

तारीख पेशी : 22-2-2011

1. श्री ब्रहमू राम पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गंदड़ मरेरा, डा0 गंदड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

2. प्रिया कुमारी पुत्री श्री कर्ण सिंह, गांव व डा0 पीठवाडा, तहसील धारजेला, जिला देहरादून . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

विषय.—इशतहार मुस्त्री मुनादी बराए विवाह पंजीकरण।

श्री ब्रहमू राम पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी गंदड़ मरेरा, डाकघर गंदड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) व प्रिया कुमारी पुत्री श्री कर्ण सिंह, निवासी पीठवाडा, तहसील धारजेला, जिला देहरादून ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किये हैं व आवेदन किया है कि दिनांक 15-8-2010 को हिन्दू रीति रिवाज से मंशा देवी मंदिर चामुण्डा में इन दोनों ने शादी कर ली है। इस सन्दर्भ में दोनों अपने-अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। शादी पंजीकरण करने हेतु आवेदन किया है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विवाह बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-2-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख

पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 15-1-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं०

तारीख पेशी : 22-2-2011

1. श्री रामू कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी पंजोल डुग, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा,
2. नीतू देवी पुत्री श्री रोशन लाल, गांव पंजोल डुग, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा
(हि० प्र०) . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

विषय.—इशतहार मुस्त्री मुनादी बराए विवाह पंजीकरण।

श्री रामू कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी पंजोल डुग, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा व नीतू देवी पुत्री श्री रोशन लाल, गांव पंजोल डुग, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किये हैं व आवेदन किया है कि दिनांक 15-1-2011 को हिन्दू रीति रिवाज से इन दोनों ने शादी कर ली है। इस सन्दर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ-पत्र भी संलग्न करवाए हैं। शादी पंजीकरण करने हेतु आवेदन किया है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त विवाह बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 22-2-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 15-1-2011 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० 44/2010/तह०

श्री प्रेम लाल

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रेम लाल पुत्र श्री रछो राम, निवासी कुठारना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता नाम रछो राम की मृत्यु दिनांक 20-4-1973 है परन्तु ग्राम पंचायत कुठारना में मृत्यु पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त रछो राम की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22-2-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० 45/2010/तह०

श्री प्रेम लाल

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रेम लाल पुत्र श्री रछो राम, निवासी कुठारना, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके दादा नाम शेखू राम की मृत्यु दिनांक 29-1-1986 है परन्तु ग्राम पंचायत कुठारना में मृत्यु पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त शेखू राम की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 22-2-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं०

श्री Penpa Tsering

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Penpa Tsering पुत्र श्री Lobsang Gyatso, निवासी सिद्धपुर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री नाम Yangdol का जन्म दिनांक

24-12-1991 है परन्तु ग्राम पंचायत खन्यारा में जन्म तिथि पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Yangdol जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 23-2-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री नरेश कुमार शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं०

श्रीमती सन्तोष कुमारी

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री पंचम सिंह, निवासी धरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अनिरुध की जन्म तिथि 15-4-2008 है परन्तु ग्राम पंचायत धरोह में जन्म तिथि पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे अनिरुध का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 4-3-2011 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

नरेश कुमार शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत जनाब नरेश कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री उधम सिंह उर्फ उत्तम सिंह, निवासी सिद्धपुरधाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी सिद्धपुरधाड़, तहसील ज्वाली ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता का नाम उधम सिंह उर्फ उत्तम सिंह पुत्र श्री गंगा राम है। उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी वरासत के इन्तकाल के समय महाल सिद्धपुरधाड़ में सायल का नाम संजीव कुमार दुरुस्त तस्दीक हुआ है व महाल लुधाड़ा में वरासत के समय सायल का नाम भूल से सुरजीत कुमार गलत दर्ज हो चुका है। सायल अपना नाम महाल लुधाड़ में सुरजीत कुमार के बजाए संजीव कुमार पुत्र श्री उधम सिंह उर्फ उत्तम सिंह पुत्र गंगा राम दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर उक्त नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 15-3-2011 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-12-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेश कुमार,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत जनाब नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी मन्डोल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म तिथि बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी मन्डोल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुमारी रिया देवी का जन्म दिनांक 15-6-2005 को मुहाल मन्डोल में हुआ है लेकिन वह गलती से पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका। अब वह अपनी पुत्री कु0 रिया देवी की जन्म तिथि 15-6-2005 ग्राम पंचायत मन्डोल में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त जन्म तिथि बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2011 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेश कुमार,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत जनाब नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री मेहर सिंह पुत्र श्री रण सिंह, निवासी समलाना, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने बारे प्रार्थना-पत्र।

श्री मेहर सिंह पुत्र श्री रण सिंह, निवासी समलाना, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसके पिता श्री रण सिंह पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी समलाना, तहसील

ज्वाली, जिला कांगड़ा की मृत्यु तिथि 7-4-2001 को हो चुकी है जो गलती से पंचायत रिकार्ड नरगाला में दर्ज न करवा सका। अब वह पंचायत रिकार्ड नरगाला में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त श्री रण सिंह पुत्र श्री तार चन्द, निवासी समलाना की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-2-2011 को न्यायालय में हाजिर होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेश कुमार,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत जनाब नरेश कुमार, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश

श्री जोगिन्द्र पाल पुत्र श्री खोजू राम, निवासी भनेई, मौजा व तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम की दुरुस्ती बारे।

श्री जोगिन्द्र पाल पुत्र श्री खोजू राम, निवासी भनेई, मौजा व तहसील ज्वाली ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम सर्विस रिकार्ड में जोगिन्द्र पाल है व राजस्व रिकार्ड व पंचायत रजिस्टर में जवाहर लाल दर्ज है। जब कि यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में जोगिन्द्र पाल उर्फ जवाहर लाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-3-2011 को न्यायालय में सुबह 10.00 बजे उपस्थित हो कर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

नरेश कुमार,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत जनाब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री लाल सिंह पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी पपाहन, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

श्री लाल सिंह पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी पपाहन, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम महाल पपाहन के शजरा नख मालकान साल 2006-07 में लाल सिंह दर्ज है व स्कूल के रिकार्ड व सर्विस रिकार्ड लाल चन्द दर्ज है। जबकि यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। प्रार्थी अब शजरा नख मालकान में अपना नाम लाल सिंह उर्फ लाल चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-2-2011 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उक्त प्रार्थी के नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-1-2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत जनाब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह, निवासी महाल सुघाल, मौजा भरमाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह, निवासी महाल सुघाल, मौजा भरमाड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके दादा श्री मक्खन सिंह पौंग डेम औस्ती हैं। उन्होंने महाल सुघाल में भूमि खरीद की है उनका नाम महाल सुघाल में गलत लिखा गया है। जबकि उनका नाम डैम औस्ती प्रमाण-पत्र नं० 839/CADKGO दिनांक 1-9-2007 व पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र में उनका नाम मक्खन सिंह दर्ज है। जबकि यह दोनों नाम एक ही आदमी के हैं। अब प्रार्थी अपने दादा का नाम महाल सुघाल के राजस्व रिकार्ड में फतू की बजाए मक्खन सिंह लिखा जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती हेतु यदि किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-2-2011 को न्यायालय में उपस्थित होकर असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-1-2011 को हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।